भारतीय मानक ब्यूरो

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग), भारत सरकार

मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002

विज्ञापन सं. 2/2020/स्थापना

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग), भारत सरकार के अंतर्गत सांविधिक निकाय और देश में मानकीकरण, उत्पाद एवं पद्धति प्रमाणन, सोना/चांदी के आभूषणों की हॉलमार्किंग, प्रयोगशाला परीक्षण करने, इत्यादि के क्षेत्र में गतिविधियों हेतु उत्तरदायी निकाय, बीआईएस मुख्यालय, नई दिल्ली और देशभर में स्थित बीआईएस कार्यालयों में सीधी भर्ती द्वारा निम्नलिखित पदों पर रिक्तियाँ भरने हेतु पात्र अभ्यर्थियों से नीचे दिए गए विवरणानुसार **ऑनलाइन आवेदन** आमंत्रित करता है:

क्र. स.	पद का नाम और पे मैट्रिक्स लेवल	अधिकतम आयु सीमा	रिक्तियों की सं.	अनारक्षित	ईडब्ल्यूएस	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व		समानांतर रिक्तियाँ	
	समूह - क									दिव्यांग	भू.पू.सै.
1	सहायक निदेशक (प्रशासन एवं वित्त) (01-विधि एवं 01- वित्त) लेवल -10 (रु. 56100-177500)	35 वर्ष	**02**	02	-	-	-	-		-	-
2	सहायक निदेशक (विपणन एवं उपभोक्ता मामले) लेवल -10 (रु. 56100-177500)	35 वर्ष	**01**	01	-	-	-	-		-	-
3	सहायक निदेशक (पुस्तकालय) लेवल -10 (रु. 56100-177500)	35 वर्ष	**01**	01	-	-	-	-		-	-
	समूह- ख										
4	सहायक अनुभाग अधिकारी लेवल -6 (रू.35400-112400)	30 वर्ष	**17**	08	01	02	01	05		01 (**श्रवण बाधित**)	
5	निजी सहायक लेवल -6 (Rs.35400-112400)	30 वर्ष	**16**	08	01	02	01	04		01 (**श्रवण बाधित**)	-
6	कनिष्ठ अनुवादक (हिंदी) लेवल -6 (रू.35400-112400)	27 वर्ष	**01**	-	01	-	-	-	-	-	-
	समूह- ग										
7	पुस्तकालय सहायक लेवल - 5 (29200-92300)	27 वर्ष	**01**	01	-	-	-	-		-	-
8	आशुलिपिक लेवल - 4 (25500-81100)	27 वर्ष	**17**	08	03	01	02	03		01 (**दृष्टि बाधित**)	01
9	वरिष्ठ सचिवालय सहायक लेवल - 4 (25500-81100)	27 वर्ष	**79**	35	07	11	05	21		02 (**दृष्टि बाधित**), 01 (ID&MI/ MD)	07
10	कनिष्ठ सचिवालय सहायक लेवल - 2 (रू.19900-63200)	27 वर्ष	**36**	17	03	05	02	09		01 (**दृष्टि बाधित**)	03

संक्षिप्तियाँ:

अना- अनारक्षित	अ.पि.व - अन्य पिछड़ा वर्ग	आ.क.व - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	बौ.नि.मा.अ/ब.व्या - बौद्धिक निशक्तता एवं मानसिक अस्वस्थता/ बहु व्याधियाँ
दि- दिव्यांग	अ.जा - अनुसूचित जाति	अ.ज.जा - अनुसूचित जनजाति	
भू.पू.सै- भूतपूर्व सैनिक	श्र.बा- श्रवण बाधित	दृ.बा- दृष्टि बाधित	

नोट:

i) दिव्यांग अभ्यर्थियों को भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार "इन्टरलॉकिंग आरक्षण" उपलब्ध कराया जाएगा।

ii) केवल कम से कम 40% निशक्तता वाले दिव्यांग व्यक्ति ही उनके लिए आरक्षित पदों पर प्रतिस्पर्धा अथवा किसी भी शिथिलता /छूट का लाभ उठाने हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे।

iii) आवश्यकतानुसार रिक्त पदों की संख्या को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। अभ्यर्थी को नियुक्ति होने पर देश में स्थित बीआईएस के किसी भी कार्यालयों में तैनात नियुक्त किए जाने का अधिकार बीआईएस के पास सुरक्षित होगा।

iv) आवेदन का ऑनलाइन पंजीकरणः **05 सितंबर 2020 (प्रातः 9.00 बजे) से 26 सितम्बर 2020 (6.00 सांय)**

2. शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभवः

क्र. स.	पद का नाम	अपेक्षित शैक्षिणिक एवं अन्य अर्हताएं
1.	सहायक निदेशक (प्रशासन एवं वित्त) [01- विधि एवं 01 वित्त]	<u>सहायक निदेशक (प्रशासन) विधि हेतु</u> (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री/विधि स्नातक; और (ii) केंद्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार या सांविधिक/स्वायत्त निकाय/पब्लिक सेक्टर उपक्रम/प्रतिष्ठित सरकारी एजेंसी में संबंधित क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव. <u>सहायक निदेशक (वित्त) हेतु</u> (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्था से चार्टर्ड अकाउन्टेंट/कॉस्ट एण्ड वर्क्स अकांउटेंट/सर्बोर्डिनेट अकांउट सर्विस अकाउन्टेंट/ मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (वित्त में विशेषज्ञता के साथ); और (ii) केंद्रीय /राज्य /संघ राज्य क्षेत्र सरकार या सांविधिक /स्वायत्त निकाय/पब्लिक सेक्टर उपक्रम /प्रतिष्ठित सरकारी एजेंसी में संबंधित क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव।
2.	सहायक निदेशक (मार्केटिंग एवं उपभोक्ता मामले/)	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (मार्केटिंग) या जनसंचार में मास्टर डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से सोशल वर्क में मास्टर डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा; और (ii) केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/ संघ राज्यक्षेत्र सरकार या सांविधिक/स्वायत्त निकाय पब्लिक सेक्टर उपक्रम/प्रतिष्ठित सरकारी एजेंसी से मार्केटिंग/जनसंचार /सोशल वर्क के क्षेत्र में पाँच वर्ष का अनुभव।
3.	पुस्तकालय निदेशक (पुस्तकालय)	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान अथवा पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री (स्नातकोत्तर डिग्री); अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से पुस्तकालय विज्ञान अथवा पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा; और (ii) केंद्रीय सरकार/ राज्य सरकार /स्वायत्त निकाय/ पब्लिक सेक्टर उपक्रम किसी मान्यता प्राप्तं विश्वविद्यालय/ संस्थान के अधीन किसी पुस्तकालय में कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव। वांछनीय: कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा।
4.	सहायक अनुभाग अधिकारी	(i) किसी मान्यता प्राप्तं विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या समतुल्य ; और (ii) कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा: अभ्यर्थी कम से कम राष्ट्रीय कौशल अर्हक रुपरेखा (एनएसक्यूएफ) के लेवल-6 में प्रवीण होना चाहिए। यह परीक्षा अर्हक प्रकृति की होगी; और (iii) कंप्यूटर प्रवीणता में अर्हता कौशल परीक्षा।

5.	निजी सहायक	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री (ii) कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा: अभ्यर्थी कम से कम राष्ट्रीय कौशल अर्हक रुपरेखा (एनएसक्यूएफ) के लेवल-6 में प्रवीण होना चाहिए। यह परीक्षा अर्हक प्रकृति की होगी; और (iii) अंग्रेजी या हिंदी में आशुलिपि परीक्षा में सात मिनट तक सौ शब्द प्रति मिनट की श्रुतलेख परीक्षा होगी जिसका अभ्यर्थी को पैतांलीस मिनट में (अंग्रेजी श्रुतलेख) और साठ मिनट में (हिंदी श्रुतलेख) का अनुलेखन करना होगा और कम्प्यूटर का ज्ञान अपेक्षित होगा। 40% या उससे अधिक निशक्तता वाले दृष्टि बाधित अभ्यर्थियों को उक्त सामग्री का अंग्रेजी आशुलिपि परीक्षा के लिए सत्तर मिनट में और हिंदी आशुलिपि परीक्षा के लिए नब्बे मिनट में अनुलेखन करना होगा। अनुमेय त्रुटियाँ 5 प्रतिशत। यदि विज्ञापित रिक्तियों के अनुसार किसी भी प्रवर्ग में अर्हित अभ्यर्थी (अर्थात् 5 प्रतिशत गलतियों के साथ) की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होती है, तो अनुमेय गलतियों 10 प्रतिशत तक छूट दी जा सकती हैं।
6.	कनिष्ठ अनुवादक (हिंदी)	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री/स्नातकोत्तर डिग्री और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक विषय के रुप में रहा हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री/स्नातकोत्तर डिग्री और डिग्री स्तर पर हिंदी एक विषय के रुप में रहा हो; या किसी मान्यता प्राप्त् विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री/ स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें हिंदी और अंग्रेजी एक विषय के रुप में रहा हो; या किसी मान्यता प्राप्ति विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री/ स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें अंग्रेजी /हिंदी माध्यम और डिग्री स्तर पर हिंदी /अंग्रेजी एक विषय के रूप में रहा हो; या (ii) हिंदी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स; या हिंदी में शब्दावली संबंधी कार्य या विशेषतः तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य का अधिमानत: अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद या विलोमतः में दो वर्ष का अनुभव।
7.	पुस्तकालय सहायक	पुस्तकालय विज्ञान में और मान्यता प्राप्त डिप्लोमा के साथ स्नातक सहित तीन वर्ष का अनुभव।
8.	आशुलिपिक	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री; (ii) कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षाः अभ्यर्थी को कम से कम राष्ट्रीय कौशल रूप रेखा (एनएसक्यू) के लेवल 5 में प्रवीण होना चाहिए। यह परीक्षा अर्हक प्रवृति की होगी ; और (iii) आशुलिपि परीक्षाः 80 शब्द प्रति मिनट की गति पर अंग्रेजी /हिंदी आशुलिपि परीक्षा जिसका अनुलेखन अभ्यर्थी को कम्प्यूटर पर क्रमशः 50 या 65 मिनट में करना होगा। 40% या उससे अधिक निशक्तता वाले दृष्टि बाधित अभ्यर्थियों को अंग्रेजी आशुलिपि परीक्षा के लिए सत्तर मिनट में और हिंदी आशुलिपि परीक्षा के लिए नब्बे मिनट में अनुलेखन करना होगा। अनुमेय त्रुटियाँ 5 प्रतिशत। यदि विज्ञापित रिक्तियों के अनुसार किसी भी प्रवर्ग में अर्हित अभ्यर्थी (अर्थात् 5 प्रतिशत गलतियों के साथ) की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होती है, तो अनुमेय गलतियों 10 प्रतिशत तक छूट दी जा सकती हैं।

9.	वरिष्ठ सचिवालय सहायक	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री; तथा (ii) कम्प्यूटर प्रवीणता में अर्हता कौशल परीक्षा जिसमें निम्नलिखित शामिल होगाः (क) वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट-15 मिनट में 2000 की डिप्रेशन; (ख) माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर स्प्रेड शीट्स टेस्ट-15 मिनट; और (ग) पावर प्वाइंट (माइक्रोसॉफ्ट पावर प्वाइंट में टेस्ट-15 मिनट
10.	कनिष्ठ सचिवालय सहायक	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री; (ii) कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षाः अभ्यर्थी को कम से कम राष्ट्रीय कौशल रूप रेखा के लेवल 5 में प्रवीण होना चाहिए। यह परीक्षा अर्हक प्रवृति की होगी ; और (iii) टंकण गति परीक्षणः कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण की गति (प्रति शब्द के लिए औसतन 5 की डिप्रेशन पर 10500 केडीपीएच /9000 केडीपीएच के अनुरूप 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट) अनुमेय समय 10 मिनट)

3. भर्ती की प्रक्रियाः

क्र. स.	पद का नाम	अधिकतम आयु सीमा	पद का समूह	भर्ती की प्रक्रिया
1.	सहायक निदेशक (प्रशासन एवं वित्त)	35 वर्ष	क	(क) ऑनलाइन परीक्षा ;और (ख) साक्षात्कार
2.	सहायक निदेशक (मार्केटिंग एवं उपभोक्ता मामले)	35 वर्ष	क	(क) ऑनलाइन परीक्षा ; और (ख) साक्षात्कार
3.	सहायक निदेशक (पुस्तकालय)	35 वर्ष	क	(क) ऑनलाइन परीक्षा; और (ख) साक्षात्कार
4.	सहायक अनुभाग अधिकारी	30 वर्ष	ख	(क) ऑनलाइन परीक्षा ; और (ख) टंकण गति परीक्षा; [कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में प्रति मिनट पैंतीस शब्द और हिंदी में प्रति मिनट तीस शब्द टंकण गति (प्रति शब्द के लिए औसतन 5 की डिप्रेशन पर 10500 केडीपीएच /9000 केडीपीएच के अनुरूप 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट) अनुमेय समय 10 मिनट] परीक्षा अर्हक प्रकृति की होगी।
5.	निजी सहायक	30 वर्ष	ख	(क) ऑनलाइन परीक्षा; और (ख) आशुलिपि परीक्षाः अंग्रेजी या हिंदी में आशुलिपि परीक्षा में सात मिनट तक सौ शब्द प्रति मिनट की श्रुतलेख परीक्षा होगी जिसका अभ्यर्थी को पैतांलीस मिनट में (अंग्रेजी श्रुतलेख) और साठ मिनट में (हिंदी श्रुतलेख) का अनुलेखन करना होगा और कम्प्यूटर का ज्ञान अपेक्षित होगा। 40% या उससे अधिक निशक्तता वाले दृष्टि बाधित अभ्यर्थियों को उक्त सामग्री का अंग्रेजी आशुलिपि परीक्षा के लिए सत्तर मिनट में और हिंदी आशुलिपि परीक्षा के लिए नब्बे मिनट में अनुलेखन करना होगा। परीक्षा अर्हक प्रकृति की होगी।

6.	कनिष्ठ अनुवादक (हिंदी)	27 वर्ष	ख	(क) ऑन लाइन परीक्षा ; और (ख) अनुवादक हेतु व्यावहारिक कौशल परीक्षा। यह परीक्षा अर्हक प्रकृति की होगी
7.	पुस्तकालय सहायक	27 वर्ष	ग	(क) ऑनलाइन परीक्षा; और (ख) पुस्तकालय विज्ञान पर व्यावहारिक कौशल। यह परीक्षा अर्हक प्रकृति की होगी।
8.	आशुलिपिक	27 वर्ष	ग	(क) ऑनलाइन परीक्षा ; और (ख) आशुलिपि परीक्षाः 80 शब्द प्रति मिनट की गति पर अंग्रेजी /हिंदी आशुलिपि परीक्षा जिसका अनुलेखन अभ्यर्थी को कम्प्यूटर पर क्रमशः 50 या 65 मिनट में करना होगा। यह परीक्षा अर्हक प्रकृति की होगी।
9.	वरिष्ठ सचिवालय सहायक	27 वर्ष	ग	(क) ऑनलाइन परीक्षा ; और (ख) कम्प्यूटर प्रवीणता में अर्हता कौशल परीक्षा जिस में निम्नलिखित शामिल होगाः (क) वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट-15 मिनट में 2000 की डिप्रेशन; (ख) माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर स्प्रेड शीट्स टेस्ट-15 मिनट; और (ग) पावर प्वाइंट (माइक्रोसॉफ्ट पावर प्वाइंट में टेस्ट-15 मिनट)।
10.	कनिष्ठ सचिवालय सहायक	27 वर्ष	ग	(क) ऑन लाइन परीक्षा; और (ख) टंकण गति परीक्षाः [कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में प्रति मिनट पैंतीस शब्द और हिंदी में प्रति मिनट तीस शब्द टंकण गति (प्रति शब्द के लिए औसतन 5 की डिप्रेशन पर 10500 केडीपीएच /9000 केडीपीएच के अनुरूप 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट) अनुमेय समय 10 मिनट) परीक्षा अर्हक प्रकृति की होगी।
नोट: 1. उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करते समय यह आवश्यक है कि शैक्षिक योग्यता, जाति, अनुभव, आदि के प्रमाण पत्र उपलोड करने होंगे। 2. आशुलिपिक और जूनियर सचिवालय सहायक के पद के लिए, उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन भरते समय, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के स्तर -5 तक कंप्यूटर प्रवीणता का प्रमाण अपलोड करना होगा। 3. व्यक्तिगत सहायक और सहायक अनुभाग अधिकारी के पद के लिए, उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन भरते समय, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के स्तर- 6 तक कंप्यूटर प्रवीणता का प्रमाण अपलोड करना होगा।				

4. **ऑनलाइन परीक्षाः** ऑनलाइन परीक्षा का स्वरूप संबंधी विवरण; ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए परीक्षा केन्द्र; और अन्य दिशानिर्देश/सूचना निम्नांकित हैः

(क) ऑनलाइन परीक्षा का स्वरूप

(i) सहायक निदेशक (प्रशासन एवं वित्त), सहायक निदेशक (मार्केटिंग एवं उपभोक्ता मामले) और सहायक निदेशक (पुस्तकालय) के पदों हेतु परीक्षा स्नाकोत्तर स्तर की होगी जिसका सिलेबस निम्न प्रकार से हैः

क्र. स.	परीक्षा पद का नाम	प्रश्नों की संख्या	अंक अधिकतम अंक	कुल समय
1.	सामान्य बौद्धिक एवं तर्क क्षमता	40	40	**120 मिनट**
2.	अंग्रेजी भाषा	40	40	
3.	क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड	20	20	
4.	सहायक निदेशक (वित्त) के लिए वित्त में डोमेन में ज्ञान सहायक निदेशक (विधि) के लिए विधि में डोमेन का ज्ञान सहायक निदेशक (मार्केटिंग एवं उपभोक्ता मामले) के लिए पब्लिक रिलेशन्स/प्रचार/विज्ञापन/वैज्ञानिक पत्रकारिता पर डोमेन का ज्ञान सहायक निदेशक (पुस्तकालय) के लिए पुस्तकालय विज्ञान पर डोमेन का ज्ञान	50	50	
	कुल	**150**	**150**	

अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु विचार किए जाने के लिए ऑनलाइन परीक्षा में कुल अधिकतम अंकों में से कम से कम 50% अंक हासिल करने अपेक्षित होगें।

(ii) **सहायक अनुभाग अधिकारी, निजी सचिव, आशुलिपि वरिष्ठ सचिवालय सहायक** और **कनिष्ठ सचिवालय सहायक** के लिए परीक्षा स्नातक स्तर की होगी जिसका सिलेबस निम्न प्रकार से होगाः

क्र.स.	परीक्षा का नाम	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	कुल समय
1.	सामान्य बौद्धिक एवं तर्क क्षमता	50	50	120 मिनट
2.	सामान्य जानकारी	25	25	
3.	क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड	25	25	
4.	अंग्रेजी भाषा	50	50	
	कुल	**150**	**150**	

अभ्यर्थियों को अगली चयन प्रक्रिया हेतु विचार किए जाने के लिए ऑनलाइन परीक्षा में कुल अधिकतम अंकों में से कम से कम 50% अंक हासिल करने अपेक्षित होंगे।

(iii) **कनिष्ठ अनुवादक (हिंदी)** और **पुस्तकालय सहायक** के पद हेतु परीक्षा स्नातक स्तर की होगी जिसका सिलेबस निम्न प्रकार से होगाः

क्र.स.	परीक्षा का नाम	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	कुल समय
1.	सामान्य बौद्धिक एवं तर्क क्षमता	50	50	120 मिनट
2.	सामान्य जानकारी	25	25	
3.	अंग्रेजी भाषा	25	25	
4.	कनिष्ठ अनुवादक (हिंदी) के लिए --सामान्य हिंदी एवं शब्दावली डोमेन का ज्ञान --पुस्तकालय सहायक के लिए --पुस्तकालय विज्ञान पर डोमेन का ज्ञान	50	50	
	कुल	**150**	**150**	

अभ्यर्थियों को अगली चयन प्रक्रिया हेतु विचार किए जाने के लिए ऑनलाइन परीक्षा में कुल अधिकतम अंकों में से कम से कम 50% अंक हासिल करने अपेक्षित होंगे।

(ख) आयु सीमा में छूट

विभिन्न वर्गों के लिए आयु सीमा में अनुमेय छूट निम्नांकित हैं

कोड सं.	**वर्ग**	**अधिकतम आयु सीमा के बाद आयु में छूट**
01	अनुसूचित जाति/जनजाति	5 वर्ष
02	अन्य पिछड़ा वर्ग	3 वर्ष
03	दिव्यांग (अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)	10 वर्ष
	दिव्यांग (अ.पि. व)	13 वर्ष
	दिव्यांग (अनुसूचित जाति /जाति/जनजाति)	15 वर्ष
04	भूतपूर्व सैनिक	
	समूह क एवं ख (भूतपूर्व सैनिक (भू.पू.सै.) ईसीओ/एसएससीओ सहित कमीशंड अधिकारी	05 वर्ष
	समूह ग भूतपूर्व सैनिक (अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)	ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को वास्तविक आयु में से, की गई मिलिट्री सेवा को, घटाने के बाद तीन वर्ष
	समूह ग भूतपूर्व सैनिक (अ.पि.व)	ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को वास्तविक आयु में से, की गई मिलिट्री सेवा को, घटाने के बाद 06 (3+3) वर्ष
	समूह ग भूतपूर्व सैनिक (अ.जा/अ.ज.जा)	ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को वास्तविक आयु में से, की गई मिलिट्री सेवा को, घटाने के बाद 08 (3+5) वर्ष
05	रक्षा कार्मिक जो विदेश के साथ अथवा किसी अशांत क्षेत्र में युद्ध स्थिति के दौरान ऑपरेशन में निःशक्त होने के परिणामस्वरूप रिलीज किये गये हो।	03 वर्ष [अधिकतम 45 वर्ष]
	रक्षा कार्मिक जो विदेश के साथ अथवा किसी अशांत क्षेत्र में युद्ध स्थिति के दौरान ऑपरेशन में निःशक्त होने के परिणामस्वरूप रिलीज किये गये हो। (अनुसूचित जाति/ जनजाति)	8 वर्ष [अधिकतम 50 वर्ष]
06	विधवा/परित्यक्त महिला/ कानूनी रूप से विलग महिला और जिसने पुनर्विवाह न किया हो (अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)	35 वर्ष की आयु
	विधवा/परित्यक्त महिला/ कानूनी रूप से विलग महिला और जिसने पुनर्विवाह न किया हो (अनुसूचित जाति/जनजाति)	40 वर्ष
07	बीआईएस कर्मचारी (सेवारत मात्र)	50 वर्ष की आयु तक

नोटः उपर्युकत मदों के अन्तर्गत अथवा अन्य किसी मद के संयोजन में संचयी आयु छूट उपलब्ध नही होगी।

भूतपूर्व सैनिक के लिए छूट (ऑनलाइन आवेदन के पंजीकरण की अंतिम तारीख पर)

1) **सहायक निदेशक (प्रशासन एवं वित्त), सहायक निदेशक (मार्केटिंग एवं उपभोक्ता मामले), सहायक निदेशक (पुस्तकालय), सहायक अनुभाग अधिकारी, निजी सहायक एवं कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के** पदों के लिएः

   क) विदेश के साथ अथवा अशांत क्षेत्र में युद्ध स्थिति के दौरान ऑपरेशन में निशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप रिलीज किये गये युद्ध रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में अधिकतम तीन वर्ष तक (अ.जा/ज.जा के लिए 8 वर्ष)

   ख) --- को कम से कम पाँच वर्ष की मिलिट्री सेवा कर चुकने और रिलीज़ हो गए कमीशंड अधिकारियों और ईसीओएस/एसएसओएस सहित पूर्व सैनिकों के मामले में अधिकतम पाँच वर्ष तक (क) दुराचार अथवा अक्षमता के कारण बर्खास्त अथवा कार्यमुक्त किए जाने के अन्यथा एसाइंमेंट के पूरा होने पर (जिनका असाइंमेंट एक वर्ष के भीतर पूरा होने वाला है, उनके सहित) अथवा (ख) मिलिट्री सेवा के कारण हुई किसी शारिरिक निशक्तता के कारण अथवा (ग) अशक्तता होने पर।

   ग) 26 सितम्बर 2020 को मिलिट्री सेवा में पाँच वर्ष कार्य की आरंभिक अवधि पूरी कर लेने वाले ईसीओएस/एसएसओएस के मामले में और जिनका असाइंमेंट पाँच वर्ष से आगे विस्तारित कर दिया गया है और जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय यह प्रमाण पत्र जारी करता है कि वे सिविल रोज़गार के लिए आवेदन कर सकते है और उनका चयन होने पर नियुक्ति प्रस्ताव के प्राप्त होने की तारीख से तीन माह के नोटिस पर उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। अधिकतम पाँच वर्ष तक।

2) **अन्य पदों हेतु:**

   क) भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने सशस्त्र बल में कम से कम छ माह की निरन्तर सेवा की हो, उन्हे इस प्रकार की सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु में से कम करने की अनुमति होगी और यदि परिणामी आयु निर्धारित अधिकतम आयु से तीन वर्ष से अधिक नही होती है तो उन्हें आयु सीमा की शर्त को पूरा करने के लिए उपयुक्त माना जाएगा ;

   ख) उन भूतपूर्व सैनिकों, जो पहले ही केन्द्र सरकार के अन्तर्गत सिविल पदों पर नियमित रोज़गार प्राप्त कर चुके है, को भी किसी भी समूह/पद पर होते हुए भी केन्द्र सरकार के अन्तर्गत किसी उच्चतर पद अथवा सेवा में अन्य रोज़गार प्राप्त करने हेतु भूतपूर्व सैनिक के लिए अनुमेय आयु में छूट के अनुसार लाभ लेने की अनुमति होगी। तथापि, इस प्रकार के अभ्यर्थी केन्द्र सरकार के भूतूपूर्व सैनिकों के लिए (का.ज्ञा.36.034/6/90-स्था (एससीटी) दिनांक 10.10.94 आरक्षण के लाभ, यदि कोई हो, के पात्र नहीं होगें ; और

   ग) निःशक्त रक्षा सेवा कार्मिकों को निर्धारित उच्चतर आयु सीमा से अधिक आयु सीमा में तीन वर्ष तक की छूट (आ.जा/ज.जा से संबंधित निशक्त रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में आठ वर्ष) इस शर्त के साथ मिलेगी कि उन्हें आयु सीमा के अन्तर्गत आने वाले किसी सामान्य अभ्यर्थी के लिए अनुमेय अवसरों की अधिकतम संख्या की अपेक्षा किसी सेवा, या सेवा समूह में भर्ती के संबंध मे अवसरों की अधिक संख्या का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। (आयु में छूट का दावा करने के लिए निशक्त रक्षा सेवा कार्मिक के दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में महानिदेशक, रिसेप्लमेंट, रक्षा मंत्रालय का प्रमाणपत्र स्वीकार किया जाएगा)।

नोट I : भूतपूर्व सैनिक शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें भूतपूर्व सैनिक रि-इम्पलॉयमेंट इन सिविल सर्विस एण्ड पोस्ट्स) नियमावली 1979, समय-समय पर यथा संशोधित में भूतपूर्व सैनिक के रूप में परिभाषित किया गया है।

नोट II : उपर्युक्त पैरा क (क) एवं (ख) और ख (क) एवं (ख) के अन्तर्गत आयु में छूट ईसीओएस/एसएसओएस सहित उन भूतपूर्व सैनिकों और कमीशंड अधिकारियों के लिए अनुमेय नहीं होगी जो अपने अनुरोध पर रिलीज हुए हों।

नोट III : आयु में छूट मांगने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार/कौशल परीक्षा/आशुलिपि परीक्षा/व्यावहारिक कौशल परीक्षा और तदनन्तर भर्ती प्रक्रिया के अन्य किसी चयन पर बीआईएस की अपेक्षानुसार अनिवार्य प्रमाणपत्र (त्रों) की प्रतियाँ प्रस्तुत करनी अपेक्षित होंगी।

नोट IV: अनारक्षित रिक्तियाँ अर्थात् वह पद जिनके लिए अ.जा/ज.जा/अ.पि.व हेतु रिक्तियों का विज्ञापन नहीं दिया गया है, उन पदों पर अ.जा/ज.जा/अ.पि.व (नॉन क्रीमीलेयर) से संबंधित आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों पर सामान्य मानदण्डों के अन्तर्गत विचार किया जाएगा और उन्हें उच्चतर आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी जाएगी।

(ग) परीक्षा केंद्र

परीक्षा निम्न केंद्रो में आयोजित की जाएगी/की जा सकती हैः

क्रमांक	राज्य	परीक्षा के लिए शहर	क्रमांक	राज्य	परीक्षा के लिए शहर
1	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	26	तमिलनाडु	चेन्नई
2	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	27	तमिलनाडु	कोयंबटूर
3	बिहार	पटना	28	तमिलनाडु	मदुरई
4	छत्तीसगढ़	रायपुर	29	तेलंगाना	हैदराबाद
5	गोवा	पण्जी	30	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
6	गुजरात	अहमदाबाद	31	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद
7	गुजरात	राजकोट	32	उत्तराखंड	देहरादून
8	हरियाणा	चंडीगढ	33	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
9	हिमाचल प्रदेश	शिमला	34	सिक्किम	गुवाहाटी
10	झारखंड	रांची	35	असम	गुवाहाटी
11	कर्नाटक	बेंगलुरू	36	अरूणाचल प्रदेश	गुवाहाटी
12	केरल	तिरूवनंतपुरम	37	मेघालय	गुवाहाटी
13	केरल	कोच्चि	38	त्रिपुरा	गुवाहाटी
14	मध्य प्रदेश	भोपाल	39	मणिपुर	गुवहाटी
15	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	40	मिजोरम	गुवहाटी
16	मध्य प्रदेश	इंदौर	41	नागालैंड	गुवहाटी
17	महाराष्ट्र	मुंबई	42	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	चेन्नई
18	महाराष्ट्र	नासिक	43	चंडीगढ़	चंडीगढ़
19	महाराष्ट्र	पुणे	44	दिल्ली/एनसीआर	दिल्ली/एनसीआर
20	महाराष्ट्र	नागपुर	45	दादर और नगर हवेली, दमन और दीउ	सूरत
21	ओडिशा	भुवनेश्वर	46	जम्मू और कश्मीर	जम्मू
22	पंजाब	चंडीगढ	47	लद्दाख	जम्मू
23	पंजाब	बठिंडा	48	लक्षद्वीप	कोच्चि
24	राजस्थान	जयपुर	49	पुडुचेरी	चेन्नई
25	राजस्थान	जोधपुर			

1. ईमेल/एसएमएस से भेजे जाने वाले प्रवेश पत्र में ऑनलाइन परीक्षा का स्थान सूचित किया जाएगा।
2. परीक्षा केंद्र/स्थान/सत्र तारीख बदलने का कोई भी अनुरोध स्वीकार नही किया जाएगा।
3. बीआईएस के पास अपने विवेकानुसार, अभ्यर्थियों की संख्या और प्रशासनिक साध्यता के आधार पर किसी भी परीक्षा केंद्र को रद्द करने/ किसी परीक्षा केंद्र को शामिल करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
4. बीआईएस को अधिकार है कि वह किसी भी अभ्यर्थी द्वारा चुने गये परिक्षा केंद्र के स्थान पर अन्य कोई परीक्षा केंद्र अलॉट कर सकता है
5. अभ्यर्थी अपने जोखिम एवं खर्च पर परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र में उपस्थित हों।
6. बीआईएस किसी भी प्रकार की चोट अथवा हानि के लिए जिम्मेदार नही होगा।

(ड) ऑनलाइन परीक्षा में भाग लेने के लिए अन्य दिशा-निर्देश/जानकारी

1. कटआफ स्कोर:

(i) अभ्यर्थी की आगे की चयन प्रक्रिया पर विचार करने के लिए अभ्यर्थी को ऑनलाइन परीक्षा में अधिकतम अंकों में से कम से कम 50% अंक अर्जित करने होंगे।

(ii) प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा भिन्न-भिन्न सत्रों (यदि हुआ है) में अर्जित अंकों को सम प्रतिशतता पद्यति (equi percentile method) के प्रयोग से सामान्यकृत किया जायेगा;और

(iii) व्यैक्तिक परीक्षाओं में केवल उत्तीर्ण होना पर्याप्त नहीं है अपितु अभ्यर्थी को साक्षात्कार/कौशल परीक्षा/आशुलिपि परीक्षा/प्रैक्टिकल कौशल परीक्षा, जैसा भी मामला हो, में बुलावे हेतु मैरिट में स्थान के लिए पर्याप्त उच्चतम अंक भी अर्जित करने होंगे।

2. स्कोर आकलन की प्रक्रिया

ऑनलाइन परीक्षा के अंक निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा निकाले जाएंगे :

(i) प्रत्येक ऑब्जेक्टिव परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा दिए गये प्रश्नों के सही उत्तलरों की संख्या को दिए गए गलत उत्तरों के लिए पेनल्टी लगाने के बाद संशोधित स्कोर निकालने के लिए विचार किया जाता है।

(ii) सम अंकों* का आकलन करने के लिए विभिन्न सत्रों में हुई ऑब्जेक्टिव परीक्षाओ में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त सही अंकों को कठिनाई स्तर, यदि कोई हो, में मामूली अंतर को ध्यान में रखते हुए एक समान किया जाता है।

* किसी भी परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त स्कोर को सभी फॉर्म के अंकों के वितरण पर विचार करके आधार फॉर्म के सम किया जाता है।

(iii) टेस्ट वार अंक और कुल पर प्राप्त अंकों को दो अंकों तक दशमलव बिंदु के साथ रिपोर्ट किया जाता है।

नोट : कटऑफ दो चरणों में लागू किए जाते हैं :

(i) व्यक्तिगत परीक्षाओं में अंको पर; (ii) कुल प्राप्तांक पर

3. उम्मीदवारों का सत्यापन: (पहचान सत्यापन)

परीक्षा हॉल और चयन की प्रक्रिया के दौरान, प्रवेश पत्र मूल के साथ और उम्मीदवार की वर्तमान में मान्य फोटो पहचान की एक फोटोकॉपी सहित (जिस पर बिलकुल प्रवेश पत्र जैसा ही नाम अंकित हो) जैसे पैन कार्ड / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / वोटर कार्ड / बैंक पासबुक जिसमें फोटो / फोटो पहचान प्रमाण के साथ जारी किया गया हो, एक सरकारी अधिकारी के लेटरहेड पर एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया फोटो / फोटो पहचान प्रमाण आधिकारिक लेटरहेड पर एक फोटो / वैध हाल ही में जारी किए गए पहचान पत्र के साथ। फोटो के साथ एक मान्यता प्राप्त कॉलेज / विश्वविद्यालय / आधार कार्ड / फोटोग्राफ के साथ कर्मचारी आईडी, सत्यापन के लिए पर्यवेक्षक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अभ्यर्थी की पहचान का विवरण, एडमिट कार्ड पर उसके विवरण, उपस्थिति सूची और अपेक्षित दस्तावेज साथ उसकी पहचान के लिए सत्यापित किया जाएगा और पहचान में संदेह होने पर उम्मीदवार को परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।

इस परियोजना के लिए ईआधार कार्ड और राशन कार्ड- वैध आईडी प्रमाण नहीं हैं ।

ध्यान दें: अभ्यर्थी को मूल फोटो पहचान प्रमाण प्रस्तुत करना होगा और परीक्षा /साक्षात्कार/ कौशल परीक्षा/ आशुलिपि परीक्षा/अल्प लिखित परीक्षा में भाग लेने के दौरान ऑनलाइन परीक्षा प्रवेश पत्र के साथ फोटो पहचान प्रमाण की फोटोकॉपी जमा करनी होगी, जिसके बिना उन्हें परीक्षा /साक्षात्कार/ कौशल परीक्षा/ आशुलिपि परीक्षा/अल्प लिखित परीक्षा देने की अनुमति नहीं होगी। उम्मीदवार ध्यान में रखें कि प्रवेश पत्र में अंकित नाम (पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान दिया गया) ठीक वही हो जैसा कि फोटो फोटो पहचान पत्र में दिया गया है। वे महिला उम्मीदवार इस पर विशेष ध्यान दें जिन्होंने शादी के बाद अपने पहले/अंतिम/मध्य नाम में परिवर्तन किया है। प्रवेश पत्र और फोटो पहचान पत्र में दिए गए नाम में कोई अंतर होने पर उम्मीदवार को परीक्षा देने की अनुमति नहीं होगी। यदि उम्मीदवार ने अपने नाम में परिवर्तन किया हो तो उन्हें मूल राजपत्र अधिसूचना/मूल विवाह प्रमाण पत्र/मूल शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही अनुमति प्रदान की जाएगी।

4. **देरी से रिपोर्ट करने वाले अभ्यर्थी** अर्थात् परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र में निर्दिष्ट रिपोर्टिंग समय के बाद पहुंचने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति नहीं होगी। प्रवेश पत्र पर उल्लिखित रिपोर्टिंग समय परीक्षा प्रारंभ होने के समय से पूर्व का समय है। हालांकि, परीक्षा की अवधि 2 घंटे है लेकिन उम्मीदवारों को परीक्षा स्थल पर 4 घंटे का समय लग सकता है, जिसमें सत्यापन; और विभिन्न अपेक्षित दस्तावेज एकत्र करना; लॉगइन करना; निर्देश देना; इत्यादि जैसी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक समय शामिल है।

5. पात्रता को स्वयं सुनिश्चित करना

(i) उल्लिखित पदों के लिए आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे इस विज्ञापन में वर्णित पात्रता और अन्य मानदंडों को पूरा करता है। इसलिए उम्मीदवार इस विज्ञापन को ध्यान से पढ़ें और ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए दिए गए सभी निर्देशों का पालन करें।

(ii) अभ्यर्थी का परीक्षा/बाद की प्रक्रिया में प्रवेश केवल अनंतिम है। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र जारी किए जाने का आशय यह नहीं है कि उसकी उम्मीदवारी को अंतिम रूप दे दिया गया है। प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर बीआईएस किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होगा और किसी भी स्तर पर यह पता लगने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी को रद्द किया जा सकता है कि उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है और या कि उसने कोई गलत //झूठी जानकारी/प्रमाण पत्र/दस्तावेज दिया है या अन्य किसी वास्तविक तथ्य(तथ्यों) को छुपाया है।नियुक्ति के बाद इन कमियों में से किसी का पता लगने पर उसकी सेवाओं को तत्काल समाप्त किया जा सकता है।

(iii) भर्ती से संबंधित सभी मामलों में बीआईएस का निर्णय अंतिम और उम्मीदवार के लिए बाध्यकारी होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के पत्राचार या व्यक्तिगत पूछताछ पर बीआईएस द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

6. सूचनाए :

(i) सभी सूचनाएं ऑनलाइन आवेदन फार्म में पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नम्बर पर ईमेल और/ या एसएमएस द्वारा दी जाएंगी।

(ii) बीआईएस के नियंत्रण से परे मोबाइल नंबर, ईमेल पते, तकनीकी गलती या अन्यथा में परिवर्तन के मामले में सूचना/सूचनाएं उम्मीदवारों तक नहीं पहुंचती है तो बीआईएस इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है नवीनतम जानकारी के लिए बीआईएस वेबसाइट www.bis.gov.in समय-समय पर देखते रहें ।

7. मोबाइल फोन, पेजर्स, कैलकुलेटर या ऐसे किसी भी तरह के यंत्रों का उपयोग

(i) परीक्षा स्थल परिसर के अंदर मोबाइल फोन, पेजर या किसी अन्य संचार उपकरण को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इन निर्देशों का कोई भी उल्लंघन किए जाने पर उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है और उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है जिसमें भविष्य की परीक्षाओं के लिए प्रतिबंधित किया जाना शामिल है।

(ii) उम्मीदवारों को अपने उनके हित में सलाह दी जाती है कि परीक्षा स्थरल पर मोबाइल फोन/पेजर सहित कोई प्रतिबंधित वस्तुा न लाएं क्यों कि इनकी सुरक्षा की व्य वस्थाव सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

(iii) उम्मीदवार को परीक्षा परिसर में कैल्कुलेटर रखने या उसे उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी ।

(iv) ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित अन्य विस्तृत जानकारी की सूचना एक हैंडआउट में दी जाएगी, जो उम्मीदवारों को बीआईएस की वेबसाइट से प्रवेश पत्र के साथ डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी ।

(v) अभ्यर्थी द्वारा निश्चित किया गया सक्राइब परीक्षा में किसी भी पद के लिए उम्मीदवार न हो । प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर उपरोक्त उल्लंघन का पता चलने पर उम्मीदवार और सक्राइब दोनों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। परीक्षा में एक से अधिक उपस्थिति/भागीदारी तत्का ल निरस्तद कर दी जाएगी/उम्मीरदवारी रद्द कर दी जाएगी।

(vi) एक बार पंजीकृत ऑनलाइन आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और/या एक बार भुगतान किए गए आवेदन शुल्क/सूचना शुल्क वापस नहीं किया जाएगा और न ही किसी अन्य परीक्षा के लिए सुरक्षित रखा जाएगा ।

8. कदाचार/अनुचित माध्यमों के प्रयोग का दोषी पाये जाने वाले उम्मीदवारों के विरूद्ध कार्रवाई

उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे कोई भी ऐसा विवरण प्रस्तुत न करें जो झूठा, गलत या मिथ्याई हो तथा ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय किसी भी प्रकार की वास्तविक जानकारी न छिपाई जाए। परीक्षा के समय, साक्षात्कार या उसके बाद की चयन प्रक्रिया में, अभ्यर्थी के निम्नलिखित में दोषी होने (या दोषी पाए जाने) पर

(क) अनुचित साधनों का उपयोग करते हुये या

(ख) किसी दूसरे के नाम से कार्य या किसी भी व्यक्ति के लिए कार्य करना या

(ग) परीक्षा/साक्षात्कार में दुर्व्यवहार करना अथवा किसी भी प्रयोजन से परीक्षा(परीक्षाओं) या उसकी किसी जानकारी का समग्र या आंशिक रूप से किसी भी प्रकार या तरीके,मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक रूप में प्रकट, प्रकाशित, पुर्नउत्पादित करना, उसके भंडारण या जानकारी के प्रसार को सुगम करना और भंडारित करना अथवा

(घ) अपनी उम्मीनदवारी से संबंधित किसी अनियमित या अनुचित तरीके को अपनाना; अथवा

(ड) अनुचित तरीके से अपनी उम्मी दवारी के लिए सहायता लेना, अथवा

(च) परीक्षा/साक्षात्कार हॉल में मोबाइल फोन या समान प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरण ले जाने पर ऐसा उम्मीदवार स्वयं आपराधिक अभियोग का पात्र होने के अतिरिक्त :

(i) उसे उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहरा दिया जाएगा जिसके लिए वह उम्मीदवार है;

(ii) बीआईएस द्वारा संचालित की जाने वाली किसी परीक्षा के लिए स्थावयी रूप से या निर्धारित समय के लिए वंचित कर दिया जाएगा;

(iii) यदि वह बीआईएस में सेवा ग्रहण कर चुका है तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

महत्वपूर्णः बीआईएस उन व्यक्तिगत अभ्यर्थियों के उत्तरों (उत्तरों) का विश्लेषण करेगा जो उन अन्य अभ्यर्थियों के सही एवं गलत उत्तरों के सदृश तरीकों में संसूचित होंगे। यदि इस संबंध में बीआईएस द्वारा अपनाई गई विश्लेषणात्मक प्रक्रिया में यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि उत्तर शेयर किये गये है तथा प्राप्त स्कोर विशुद्ध/वैध नही है तो बीआईएस संबंधित अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रदद् करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और ऐसे अभ्यर्थियों (अयोग्य) के परिणाम रोक दिये जायेंगे।

9. बुलावा पत्र

परीक्षा / साक्षात्कार/ कौशल परीक्षा/आशुलिपि परीक्षा/ अल्प लिखित परीक्षा, जहां भी लागू हो, के लिए केन्द्र, स्थान, पता, जिस पद के लिए आवेदन किया है के लिए तिथि एवं स्थान की सूचना संबंधित प्रवेश पत्र में दी जाएगी। सफलतापूर्वक पंजीकरण करने वाले अभ्यर्थी बीआईएस की वेबसाइट www.bis.gov.in पर अपना विवरण अर्थात पंजीकरण संख्या और पासवर्ड/ जन्म तिथि प्रविष्ट करके अपना प्रवेशपत्र डाउनलोड करें। डाक/कोरियर के माध्यम से प्रवेश पत्र/सूचना हैंडआउट की कोई हार्डकॉपी नहीं भेजी जाएगी। सभी सूचनाएं ऑनलाइन आवेदन फार्म में पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नम्बीर पर ईमेल और/एसएमएस द्वारा दी जाएंगी। मोबाइल नंबर, ईमेल पते में किसी तकनीकी दोष या बीआईएस के नियंत्रण से बाहर बदलाव होने के कारण उम्मी दवार को ईमेल की गई/ एसएमएस द्वारा भेजी गई सूचना देर से मिलने/न मिलने के लिए बीआईएस जिम्मे दार नहीं होगा।

अतएव उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम जानकारी और आगे के मार्गदर्शन के लिए नियमित रूप से बीआईएस की वेबसाइट www.bis.gov.in समय-समय पर तथा भर्ती प्रक्रिया के दौरान समय-समय पर अपना पंजीकृत ईमेल अकांउट देखते रहें।

10. कैसे आवेदन करें

निम्नलिखित के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश/प्रक्रिया

क. आवेदन पंजीकरण

ख. शुल्क भुगतान

ग. फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड

उम्मीदवार **05 सितम्बर 2020 से (प्रातः 9.00 बजे)** से **26 सितम्बर 2020 (शाम 6.00 बजे)** तक आवेदन कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

<u>पंजीकरण से पूर्व ध्यान देने योग्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु</u>

ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आवेदक-

i. अपने फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन करें जिसमें यह सुनिश्चित करें कि फोटोग्राफ और हस्ताक्षर उसी निर्धारित अपेक्षा के अनुरूप हो जो कि फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए दिए गए दिशा-निर्देशों के लिए दी गई है।

ii. वैध पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नम्बर हो जो कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक एक्टिव रहे। बैंक पंजीकृत ईमेल आईडी द्वारा परीक्षा इत्यादि के लिए प्रवेशपत्र डाउनलोड करने की सूचना भेज सकता है। यदि उम्मीदवार के पास वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी है तो वह ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व नई ईमेल आईडी बना ले और मोबाइल नम्बर लें और अपना ईमेल अकांउट और मोबाइल नम्बर बनाए रखें।

iii. **आवेदन शुल्क/सूचना शुल्क (अप्रतिदेय)**

ऑनलाइन शुल्क का भुगतान: [05 सितम्बर 2020 से (प्रातः 9.00 बजे) से **26 सितम्बर 2020 (शाम 6.00 बजे)]** आवेदन शुल्क./सूचना शुल्क के ऑनलाइन भुगतान के लिए बैंक हस्तांतरण प्रभार का वहन उम्मीदवार को स्वयं करना होगा।

क. आवेदन प्रक्रिया

1. उम्मीदवार बीआईएस वेबसाइट पर जाएं और शीर्ष “Career Opportunities” के अंतर्गत टैब ‘’Recruitment Advt./Results”पर क्लिक करें और फिर “Apply Online” पर क्लिक करें जिससे नई स्क्रीन खुल जाएगी।

2. आवेदन पंजीकरण करने के लिए टैब “Click here for new registration” पर जाएं और नाम, संपर्क का विवरण और ईमेल आईडी प्रविष्ट करें। सिस्टयम द्वारा एक अस्थांयी पंजीकरण संख्या और पासवर्ड जनरेट होगा और स्क्रीन पर आएगा। उम्मीदवार अस्था यी पंजीकरण संख्यान और पासवर्ड नोट कर लें। अस्थागयी पंजीकरण संख्या और पासवर्ड को दर्शाने वाला ईमेल और एसएमएस भी भेजा जाएगा।

3. यदि उम्मीदवार एक बार में आवेदन फॉर्म को पूरा करने में असमर्थ है, तो वह "सेव एंड नेक्स्ट" टैब चुनकर पहले से दर्ज डेटा को बचा सकता है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र में विवरण को सत्यापित करने के लिए "सेव एंड नेक्स्ट" सुविधा का उपयोग करें और यदि आवश्यक हो तो उसी को संशोधित करें । दृष्टि बाधित उम्मीदवारों को आवेदन पत्र को सावधानीपूर्वक भरना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापित करना/ विवरण सत्यापित करवाने चाहिए कि अंतिम प्रस्तुति करने से पहले वे सही हैं।

4. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन में भरे गए विवरण को सावधानीपूर्वक भरें और सत्यापित करें क्योंकि अंतिम सब्मिट बॅटन पर क्लिक करने के बाद कोई बदलाव संभव नहीं होगा।

5. उम्मीदवार, या उसके पिता / पति आदि का नाम आवेदन में सही ढंग से लिखा जाना चाहिए क्योंकि यह प्रमाणपत्र / मार्कशीट / पहचान प्रमाण में दिखाई देता है। कोई भी परिवर्तन / बदलाव उम्मीदवारी को अयोग्य घोषित कर सकता है।

6. अपने विवरणों को सत्यापित करें और 'अपने विवरणों को सत्यापित करे' और 'सहेजें और अगला' बटन पर क्लिक करके अपना आवेदन सहेजें।

7. उम्मीदवार "सी" बिंदु के तहत विस्तृत फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दिशानिर्देशों में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं ।

8. उम्मीदवार आगे आवेदनपत्र के अन्य विवरण भर सकते हैं।

9. 'अन्तिम रूप से जमा करने'से पहले पूरे आवेदन फॉर्म का पूर्वावलोकन और सत्यापन करने के लिए पूर्वावलोकन टैब पर क्लिक करें।

10. यदि आवश्यक हो, तो विवरण संशोधित करें, और सत्यापित करने और सुनिश्चित करने के बाद कि फोटोग्राफ, हस्ताक्षर अपलोड किए गए हैं और आपके द्वारा भरे गए अन्य विवरण सही हैं, केवल 'फाइनल सब्मिट' पर क्लिक करें।

11. 'भुगतान' टैब पर क्लिक करें और भुगतान के लिए आगे बढ़ें।

12. 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।

ख. शुल्क का भुगतान(ऑनलाइन मोड)

1. आवदेन पत्र भुगतान गेटवे के साथ एकीकृत है और निम्नलिखित निर्देशों का पालन करके भुगतान किया जा सकता है।

2. भुगतान डेबिट कार्ड (रूपे/विजा/मास्टर कार्ड/मैस्ट्रो), क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस,कैश कार्ड/मोबाइल वॉलेट का उपयोग करके किया जा सकता है।

3. ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी भुगतान जानकारी जमा करने के बाद, कृपया सर्वर से जानकारी के लिए प्रतीक्षा करें। दोहरे शुल्क से बचने के लिए बैक या रिफ्रेश बटन को न दबाएं।

4. ट्रांजेक्शन के सफलतापूर्वक पूरे होने पर, ई- रसीद जनरेट होगी।

5. ई-रिसिप्ट जनरेट न होना भुगतान की विफलता को इंगित करता है। भुगतान विफल होने पर अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे अपने अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का उपयोग करके फिर से लॉग-इन करें और भुगतान की प्रक्रिया को दोहराएं।

6. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र और **ई-रसीद का प्रिंटआउट लेना होगा। कृपया ध्यान दें कि यदि यह जनरेट नहीं होता है तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शॅन सफल नहीं हुआ है।**

7. क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए : सभी शुल्क भारतीय रूपये में सूचीबद्ध है। यदि आप गैर-भारतीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, तो आपका बैंक वर्तमान दरों के आधार पर आपकी स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित हो जाएगा।

8. अपने डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, एक बार ट्रांजैक्शॅन पूरा होने के बाद कृपया अपनी ब्राउजर विंडों बंद कर दें।

9. शुल्क के भुगतान के बाद शुल्क विवरण निहित आवेदन प्रपत्र को प्रिंट करने की सुविधा है।

ग. फोटोग्राफ(4.5 सेंमी.x3.5 सेंमी) और हस्ताक्षर को अपलोड़ और स्कैन करने के लिए दिशा-निर्देश

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को नीचे दिए गए निर्देशानुसार अपनी फोटो और हस्ताक्षर स्कैन (डिजिटल) इमेज की आवश्यकता होगी।

फोटोग्राफ इमेज:

- फोटोग्राफ हाल की पासपोर्ट स्टाइल की कलर पिक्चर हो।
- सुनिश्चित करें कि पिक्चर कलर हो, जिसे हल्के रंग, अधिमानत: सफेद बैकग्राउंड पर लिया गया हो।
- रिलेक्सफेस से कैमरे की तरफ सीधा देखें।
- यदि तस्वीर धूप में ली गई है और आपके पीछे सूरज है तो अपने आप को छाया में रखें, ताकि आपकी नजर तिरछी न दिखे और कोई गहरी छाया न हो ।
- यदि आपको फ्लैश का उपयोग करना है, तो सुनिश्चित करें कि "रेड-आई" न हो।
- यदि आप चश्मान पहनते हैं तो कृपया सुनिश्चित करें कि कोई रिफलेक्श"न न पड़े और आपकी आंखे बिलकुल साफ दिखाई दें।
- कैप, हेड और गहरे रंग के ग्लास वाले चश्में स्वीकार्य नहीं हैं। यदि धार्मिक कारण से सिर पर कुछ पहना है तो उसकी स्वीकृति हैं किंतु इससे आपका चेहरा ढका न हो।
- आयाम 200×230 पिक्सेल (अधिमानत:)
- फाइल का आकार 20केबी-50केबी के बीच हो।
- सुनिश्चित करें कि स्केन्ड इमेज का आकार 50केबी से अधिक न हो। यदि फाइल का आकार 50केबी से अधिक है तो कृपया डीपीआई रेजोल्यूकशन रंगों की संख्याइ इत्यादि स्केनिंग की प्रक्रिया के अनुसार स्केयनर की सेटिंग समायोजित करें।

हस्ताक्षर इमेज :

- आवेदक सफेद पेपर पर काली स्याही वाले पेन से ही हस्ताक्षर करें।
- केवल आवेदक ही हस्ताक्षर करें और कोई अन्ये व्यक्ति नहीं।
- हस्ताक्षर का उपयोग उपस्थिति शीट पर और जहां आवश्यहक हो वहां किया जा जाए।
- प्रवेशपत्र पर प्राप्त अपलोड किए गए आवेदक के हस्ताहक्षर परीक्षा के समय उपस्थिति शीट पर किए गए हस्ताक्षर से मेल खाते हों। यदि हस्ता क्षर मेल नहीं खाते हैं तो आवेदक को अयोग्यप घोषित किया जा सकता है।
- आयाम 140×60 पिक्सरल (अधिमानत:)
- फाइल का साइज़ 10केबी-20केबी के बीच का हो
- सुनिश्चित करें कि स्केन्ड इमेज का आकार 20 केबी से अधिक न हो।
- केपिटल लैटर मे किए गए हस्ताक्षर स्वीकार्य नहीं होंगे।

फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की स्केनिंग:

- स्केनर रेजोल्यूनशन को न्यूनतम 200डीपीआई (डॉट प्रति इंच) पर सेट करें।
- कलर को ट्रू कलर पर सेट करें।
- फाइल साइज यथा उपरोल्लिखित
- स्कैनर में फोटाग्राफ/हस्ताक्षर की ऐज तक इमेज को क्रॉप करें और अंतिम आकार (ऊपर निर्दिष्टा नुसार) में इमेज को क्राप करने के लिए अपलोड एडिटर का उपयोग करें।

- इमेज फाइल जेपीजी अथवा जेपीईजी प्रारूप में हों। उदाहरण के लिए फाइल का नाम. इमेज 01.जेपीजी अथवा इमेज जेपीईजी हो। इमेज के आयाम फोल्डपर फाइलों की लिस्टिंग द्वारा अथवा इमेज आइकॉन पर माउस को मूव करके चैक किए जा सकते हैं।
- एमएसविंडोज/एमएसऑफिस का उपयोग करने वाले अभ्यर्थी आसानी से एमएसपेंट या एमएसऑफिस पिक्चर मैनेजर का उपयोग करके क्रमशः फोटो और हस्ताक्षर को .जेपीईजी फॉर्मेट में 50 केबी एवं 20 केबी में प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी फॉर्मेट में स्कैन किए गए फोटोग्राफ और हस्ताक्षर को .जेपीजी फॉर्मेट में 'सेव एज' विकल्प का उपयोग करके जेपीजी फॉर्मेट में सेव किया जा सकता है और 'इमेज' मैनु में रिसाइज विकल्प (कृपया पिक्सल साइज के लिए उपरोक्त बिंदु (i)और (ii) देखें।) और क्रोप का उपयोग करके 50 केबी (फोटोग्राफ) और 20 केबी (हस्ताक्षर) से कम किया जा सकता है । सदृश विकल्प अन्य फोटो एडीटर में भी उपलब्ध है।
- यदि फ़ाइल का साइज और फॉर्मेट निर्धारित नहीं है, तो एक एरर मैसेज दिखेगा।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के दौरान अभ्यर्थी को उसकी फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए एक लिंक प्रदान किया जाएगा।

फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड़ करने की प्रक्रिया

- फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दो अलग-अलग लिंक होंगे
- संबंधित लिंक पर क्लिक करें "फोटोग्राफ / हस्ताक्षर अपलोड करें"
- ब्राउज़ करें और उस स्थान का चयन करें जहां स्कैन की गई फोटोग्राफ / हस्ताक्षर फ़ाइल सेव की गई है।
- उस पर क्लिक करके फाइल को चुनें
- 'ओपन/अपलोड़'बटन पर क्लिक करें

जब तक आप निर्दिष्टानुसार अपनी फोटोग्राफ और हस्ताक्षर को अपलोड़ नहीं करते हैं, तब तक आपका ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत नहीं माना जाएगा।

टिप्पणी :

(1) यदि फोटोग्राफ या हस्ताक्षर में चेहरा स्पष्ट नहीं है तो अभ्यर्थी का आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में फोटोग्राफ/हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद, अभ्यर्थियों को यह देखना होगा कि इमेज स्पष्ट हैं और उसे सही तरीके से अपलोड किया गया है। यदि फोटोग्राफ या हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो अभ्यर्थी अपना आवेदन एडिट कर सकता है और आवेदन जमा करने से पहले अपनी तस्वीर या हस्ताक्षर को फिर से अपलोड कर सकता है।

(2) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन पंजीकरण के पश्चात् वे अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र का सिस्टम जनरेटिड प्रिंट आउट लें।

ड. आवेदन शुल्क का भुगतान:

i) सहायक निदेशक (प्रशासन एवं वित्त), सहायक निदेशक (मार्किटिंग एवं उपभोक्ता मामले) और सहायक निदेशक (पुस्तकालय) पदों के लिए आवदेन शुल्क रु. 800/- होगा और शेष पदों के लिए शुल्क रु. 500/- होगा।

ii) एससी/एसटी/पीडब्लयूडी/महिलाओं और बीआईएस में कार्यरत कर्मचारियों को आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।

iii) आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन भुगतान प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा,

iv) आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण के समय शुल्क देना होगा और यह वापस नहीं किया जाएगा;

v) भूतपूर्व सैनिकों को केवल समूह - ग पदों के लिए शुल्क में छूट दी जाएगी;

vi) आवेदन शुल्क के ऑनलाइन भुगतान के लिए कोई अन्य शुल्क, यदि कोई हो, तो वह अभ्यर्थियों द्वारा वहन किया जाएगा।

11. **कार्यक्रमों का शिड्यूल** निम्नलिखित होगा:

ऑनलाइन कार्यक्रम	**तारीख/अवधि**
आवेदन पत्र का पंजीकरण	**05 सितम्बर 2020 से (प्रातः 9.00 बजे)** से **26 सितम्बर 2020 (शाम 6.00 बजे)**
आवेदन शुल्क का भुगतान (ऑनलाइन)	**05 सितम्बर 2020 से (प्रातः 9.00 बजे)** से **26 सितम्बर 2020 (शाम 6.00 बजे)**
ऑनलाइन परीक्षा के लिए प्रवेश-पत्र जारी करना	**20 अक्तूबर 2020* (अनुमानित)**
ऑनलाइन परीक्षा	**08 नवम्बर 2020* (रविवार) (अनुमानित)**
***यदि गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशोंनुसार**	

13. आरक्षण : सभी आरक्षण से संबंधित विवरण के लिए, कृपया **अनुलग्नक-I** देखें।

14. अन्य महत्त्वपूर्ण निर्देश

(1) भर्ती प्रक्रिया या उसके बाद के कार्यक्रम से संबंधित सभी पत्राचार / निर्देश / जानकारी पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस/पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से दी जाएगी। महत्त्वपूर्ण नोटिस और सूचना बीआईएस वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी। इसलिए, अभ्यर्थियों को अपनी ईमेल आईडी / एसएमएस को देखते रहना चाहिए और अद्‌यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से बीआईएस वेबसाईट को भी देखना चाहिए।

(2) भर्ती प्रक्रिया सहित इस विज्ञापन से उत्पन्न कोई भी विवाद दिल्ली स्थित न्यायालयों के एकमात्र क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

(3) गलत उत्तर के लिए पेनल्टी: ऑन-लाइन परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की कटौती की जाएगी।

(4) किसी भी प्रकार से प्रभाव डालना अयोग्यता होगी।

(5) यदि अंग्रेजी के अतिरिक्त, इस विज्ञापन के किसी भी संस्करण में खंडों की व्याख्या के कारण कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो बीआईएस वेबसाइट पर उपलब्ध अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

(6) किसी अनधिकृत व्यक्ति / संस्था द्वारा प्रदान की गई गलत जानकारी के लिए बीआईएस जिम्मेदार नहीं होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन का विवरण किसी के साथ साझा न करें।

(7) अभ्यर्थियों की नियुक्ति उनके चिकित्सकीय रूप से फिट घोषित होने और बीआईएस में लागू सेवा और आचरण नियमों के अधीन भी होगी। बीआईएस का निर्णय अभ्यर्थियों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(8) बीआईएस बिना कारण बताए या कारण बताकर चयन और आवंटन की प्रक्रिया, किसी भी मापदंड में परिवर्तन(रद्द / संशोधित या जोड़ने) का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(9) परीक्षा के प्रबंध में कुछ समस्या उत्पन्न होने की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है, जो टेस्ट डिलीवरी और / या परिणाम जनरेट होने को प्रभावित कर सकती है। उस स्थिति में, ऐसी समस्या को ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे, जिसमें अभ्यर्थियों के आवागमन, परीक्षा में देरी भी शामिल है। पुन: परीक्षा का संचालन, संचालन संस्था का विवेकाधिकार है। पुन: परीक्षा के लिए अभ्यर्थी कोई दावा नहीं कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी आवागमन या परीक्षा में देरी होने से प्रक्रिया में भाग लेने के लिए तैयार नहीं होंगे, उन्हें इस प्रक्रिया से सरसरी तौर पर हटा दिया जाएगा।

(10) बीआईएस प्रत्येक पद के लिए एक अलग सत्र में ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने का प्रयास करेगा, परंतु किसी स्थिति में, किसी कारणवश एक ही दिन और उसी समय में सभी (अथवा किसी) पदों के लिए ऑन-लाइन परीक्षा का आयोजन किया जाना अपेक्षित होने पर अभ्यर्थी केवल एक पद के लिए ऑन-लाइन परीक्षा में उपस्थित हो सकेगा। इसलिए, अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे इस बात को ध्यान में रखें।

(11) अंग्रेजी भाषा की परीक्षा को छोड़कर उपर्युक्त सभी प्रश्नपत्र द्विभाषी, अर्थात् अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध होंगे।

(12) प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग परीक्षा आयोजित की जाएगी। एक ही सत्र के दौरान दो या दो से अधिक पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जा सकती है। एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए।

(13) समूह 'क' पदों के लिए, अभ्यर्थियों को लिखित अथवा ऑनलाइन परीक्षा के लिए पच्चासी प्रतिशत भारांक और साक्षात्कार के लिए पंद्रह प्रतिशत भारांक दिया जाएगा और लिखित अथवा ऑनलाइन परीक्षा में कम से कम पचास प्रतिशत अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों में से मेरिट के क्रम में साक्षात्कार में बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से चार गुणा से अधिक नहीं होगी।

(14) समूह 'ख' और समूह 'ग' पदों के लिए, अभ्यर्थियों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा, जो लिखित अथवा ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों द्वारा निर्धारित किया गया है और निर्धारित कौशल परीक्षण क्रमशःशॉर्टहैंड टेस्ट या टाइपिंग स्पीड टेस्ट अथवा ट्रेड टेस्ट या इसके संयोजन में अर्हता प्राप्त कर रहा हो,जो केवल अर्हक परीक्षा होगी और कौशल परीक्षण के लिए अभ्यर्थियों में से मेरिट के क्रम में साक्षात्कार में बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापित रिक्तियों की संख्या सेचार गुणा से अधिक नहीं होगी जिन्होंने लिखित अथवा ऑनलाइन परीक्षा में कम से कम पचास प्रतिशत अंक हासिल किया हो।

(15) **बीआईएस के मौजूदा विभागीय अभ्यर्थियों के लिए अनुदेशः** (अर्थात् वर्तमान में बीआईएस में सेवारत कर्मचारी) जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, वे सीधे आवेदन कर सकते हैं और उन्हें अलग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

(16) **पहले से ही सेवारत अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश:**पहले से ही सरकार/राज्य/सार्वजनिक सेवा उपक्रम इत्यादि में सेवारत अभ्यर्थियों को साक्षात्कार/कौशल परीक्षा/आशुलिपि परीक्षा के समय अपने नियोक्ता से "अनापत्ति प्रमाणपत्र" देना होगा।

(17) आवेदक के पास आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख को अपेक्षित अर्हता होनी चाहिए अर्थात् इसलिए परीक्षा में सम्मिलित होने वाले मामलें/अपूर्ण अर्हता किसी भी दशा में स्वीकृत नहीं की जाएगी। अनुभव, जहां कहीं भी अपेक्षित हो पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हताएं हासिल करने के बाद की अवधि में होना चाहिए।

(18) अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन में निकटतम दो दशमलव तक गणना की गई स्नातक में प्राप्त प्रतिशतता दर्शाना होगा। जहाँ सीजीपीए/ओजीपीए के रुप में अवार्ड किया गया हो तो उसको प्रतिशत में परिवर्तित करके ऑनलाइन आवेदन में दर्शाया जाना चाहिए।

(19) प्रतिशत की गणना: अंको का प्रतिशत अभ्यर्थी द्वारा सभी सेमेस्टरों/वर्षों में सभी विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को ऑनर्स/वैकल्पिक/अतिरिक्त वैकल्पिक विषय यदि कोई हो,के बावजूद,सभी विषयों में कुल अधिकत्तम अंकों से भाग देकर निकाला जाएगा। यह उन विश्वविद्यालयों के लिए भी लागू होगा जहां केवल ऑनर्स अंकों के आधार पर वर्ग/ग्रेड तय किया जाता है। इस प्रकार निकाली गई प्रतिशत के भिन्न को नजर अंदाज किया जाएगा अर्थात् 59.99% को 60% से कम और 49.99% को 50% से कम माना जाएगा।

(20) उल्लेख की गई सभी शैक्षणिक अर्हताएँ यूजीसी, भारत सरकार/सरकारी नियामक निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड से अनुमोदित होनी चाहिए। दोहरी शैक्षणिक योग्यता/विशेषज्ञता के मामले में, अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया के समय अनिवार्य रुप से प्रमाण देना होगा कि उनकी प्रमुख विशेषज्ञता पद के लिए निर्धारित अपेक्षित अर्हता के अनुरूप है।

संदीप मीना

तारीखः 05 सितम्बर 2020 **निदेशक (स्थापना)**

स्थानः नई दिल्ली **भारतीय मानक ब्यूरो**

अनुलग्नक -I

आरक्षण से संबंधित सामान्य निर्देश

संक्षिप्ताक्षर:

अना- अनारक्षित	अ.पि.व-अन्य पिछड़ा वर्ग	आ.क.व -आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
दि- दिव्यांग व्यक्ति	अ जा-अनुसूचित जाति	अ.ज.जा -अनुसूचित जनजाति
भू पू सै -भूतपूर्व सैनिक	श्र बा- श्रवण बाधित	दृ बा - दृष्टिबाधित
बौ.नि.मा /ब व्या- बौद्धिक नि:शक्तता और मानसिक रोग/ बहु व्याधियाँ		

सामान्य : (i) भारत सरकार के निर्देशानुसार दिव्यांग अभ्यर्थियों को इंटरलॉकिंग आरक्षण प्रदान किया जाएगा" ; तथा

(ii) न्यूनतम 40% नि:शक्तता वाले पीडब्ल्यूडी ही विज्ञापित पदों हेतु प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।

1. दिव्यांग व्यक्तियों की परिभाषा (पीडब्ल्यूडी) [दिव्यांगजन]:

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 (आर) के तहत, केवल ऐसे व्यक्ति आरक्षण के लिए पात्र होंगे, निर्दिष्ट निःशक्तता 40% से कम न हो, से पीड़ित हो और केंद्र/राज्य सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित हो। इस तरह के लाभों का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय/भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर अपने दावे के समर्थन में (इस विज्ञापन के अंत में दिए गए निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख तक या उससे पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया) मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। दिव्यांग व्यक्तियों को आवश्यकता के अनुसार किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय/शाखा कार्यालय में कार्य करना होगा। निम्नलिखित दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों में आवेदन करने के पात्र है (भारत सरकार के 15 जनवरी 2018 के दिशानिर्देशों के अनुसार):

i. दृष्टिहीनता और कमजोर दृष्टि-

(क) "दृष्टिहीनता" का अर्थ है एक ऐसी स्थिति जहां किसी व्यक्ति की स्थिति सर्वोत्तम सुधार के बाद निम्नलिखित में से कोई हो,

i) दृष्टि का पूर्णतः न होना; या

ii) सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ "ठीक आंख में 3/60 या 10/200 (स्नेलन) से कम दृष्टि तीक्ष्णता; या

iii) दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 10 डिग्री से कम के कोण की हो।

(ख) "कम-दृष्टि" का अर्थ है एक ऐसी स्थिति, जहां किसी व्यक्ति की निम्नलिखित में से कोई भी स्थिति हो, अर्थात्:

i) सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ ठीक आंख में दृष्टि तीक्ष्णता 6/18 से अधिक हो या 20/60 से कम 3/60 तक या 10/200 (स्नेलन) हो; या

ii) दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 40 डिग्री से 10 डिग्री तक के कोण की हो।

ii. बधिर और कम सुनाई देना-

(क) "बधिर" का अर्थ है दोनों कानों में स्पीच फ्रीक्वेंसी में 70 डीबी श्रव्यता हानि वाले लोग;

(ख) "कम सुनाई देना" का अर्थ है कि दोनों कानों में स्पीच फ्रीक्वेंसी में 60 डीबी से 70 डीबी श्रव्यता हानि वाले व्यक्ति;

iii. सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ितों और मांसपेशियों की डिस्ट्रोफी सहित लोकोमोटिव निःशक्तता-लोकोमोटर नि:शक्तता में (मस्कुलोस्केलेटल या नर्वस सिस्टम या दोनों की पीड़ा से उत्पन्न स्वयं और वस्तुओं की गतिविधि से जुड़ी विशिष्ट गतिविधियों को निष्पादित करने में किसी व्यक्ति की असमर्थता), में सम्मिलित हैः

(क) 'कुष्ठ उपचारित व्यक्ति' का अर्थ है- ऐसा व्यक्ति जिसका कुष्ठ रोग का उपचार हो चुका हो लेकिन वह (i) प्रत्यक्ष विकृति के बिना हाथ और पैर में संवेदनहीनता और नेत्रों की पलकों और पेशियों के पक्षाघात से पीड़ित (ii) प्रत्यक्ष विकृति और पेशियों का पक्षाघात, किंतु सामान्य कार्य करने हेतु हाथ-पैरों में पर्याप्त गतिशीलता होना। (iii) अत्यधिक शारीरिक विकृति के साथ-साथ अग्रवर्ती आयु, जो उन्हें कोई भी लाभकारी उपजीविका आरंभ करने से रोकती है और कुष्ठ रोग उपचारित अभिव्यक्ति का अर्थ तदनुसार लिया जाएगा।

(ख) "सेरेब्रल पाल्सी" का अर्थ है शरीर की गतिशीलता और मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करने वाली गैर-प्रगतिशील न्यूरोलॉजिकल स्थिति का एक समूह, जो आमतौर पर जन्म के पहले, दौरान या उसके तुरंत बाद मस्तिष्क के एक या एक से अधिक विशिष्ट भागों में नुकसान होने के कारण होता है

(ग) “बौनापन” का अर्थ है एक चिकित्सीय या आनुवांशिक स्थिति जिसके परिणामस्वरूप किसी वयस्क की 4 फीट 10 इंच (147 सेंटीमीटर) की वयस्क ऊंचाई या उससे कम होना;

(घ) “मस्कुलर डिस्ट्रॉफी” का अर्थ है वंशानुगत आनुवांशिक मांसपेशी रोग का एक समूह जो मानव शरीर को गतिशील बनाने वाली मांसपेशियों को कमजोर करता है और मल्टीपल-डिस्ट्रॉफी वाले व्यक्तियों के जीन में गलत और अधूरी जानकारी होती हैं, जो उन्हें स्वस्थ मांसपेशियों के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने से रोकती है।

(ङ) “एसिड अटैक पीड़ितों” का अर्थ है कि एसिड या इसी तरह के संक्षारक पदार्थ को फेंकने से हिंसक हमले के कारण विकृत व्यक्ति

iv ऑटिज्म, बौद्धिकनिःशक्तता, विशिष्ट अधिगमनिःशक्तता और मानसिक बीमारी

1. “भाषण और भाषानिःशक्तता” का अर्थ है एक स्थायीनिःशक्तता जो कि लैरींगक्टोमीयावाचाघात जैसी स्थितियों से उत्पन्न होती है जो कार्बनिक या न्यूरोलॉजिकल कारणों के कारण भाषण और भाषा के एक या अधिक घटकों को प्रभावित करती है।

2. बौद्धिकनिःशक्तता, बौद्धिक काम काज (तर्क, शिक्षा, समस्या को हल करना) और अनुकूली व्यवहार दोनों में महत्त्वपूर्ण सीमा के कारण एक ऐसी स्थिति जिसमें हर दिन, सामाजिक और व्यावहारिक कौशल शामिल हैं-

   (क) “विशिष्ट अधिगम निःशक्तता” का अर्थ है विषम परिस्थितियों का एक समूह जिसमें बोलने या लिखने में भाषा के प्रसंस्करण में कमी होती है, जो समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, या गणना करने में कठिनाई के रूप में प्रकट हो सकती है और इसमें अवधारणात्मक अक्षमता, डिस्लेक्सिया, डिस्कग्राफिया, डिस्कलेकुलिया, डिस्प्रेक्सिया और विकासात्मक वाचाघात के रूप में ऐसी स्थितियां शामिल हैं;

   (ख) “ऑटिज्मस्पेक्ट्रम डिसऑर्डर”का मतलब है कि जीवन के पहले तीन वर्षों में आमतौर पर दिखने वाली एक न्यूरो-विकासात्मक स्थिति जो किसी व्यक्ति की बात चीत करने, रिश्तों को समझने और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को काफी प्रभावित करती है, और अक्सर असामान्य या रूढ़िबद्ध अनुष्ठान या व्यवहार से जुड़ी होती है।

3. मानसिक व्यवहार,-

   “मानसिक बीमारी” का अर्थ सोच, मनोदशा, धारणा, अभिविन्यास या स्मृति का एक महत्त्वपूर्ण विकार जो कि स्थाई रूप से निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमताओं में जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने में अक्षम होता है, लेकिन इसमें मंदता शामिल नहीं है जोकि किसी व्यक्ति के दिमाग के जड़ होने की स्थिति यह विशेष तौर से बुद्धि के कम-सामान्य होने का अभिलक्षण है।

4. निम्नांकित कारणों से हुई निःशक्तता

   क) क्रॉनिक तंत्रिका संबंधी स्थितियां, जैसे-

      (i) “मल्टीपल स्केलेरोसिस” का अर्थ है सूजा हुआ, नर्वस सिस्टम की बीमारी जिस में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतु के चारों ओर माइलिन क्षति ग्रस्त हो जाता है, जिसमें अपक्षय होता है और मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में ताल मेल स्थापित करने में तंत्रिका कोशिकाओं की क्षमता प्रभावित होती है।

      (ii) “पार्किंसंस रोग” का अर्थ है कंपन, मांसपेशियों की कठोरता और धीमी गति से, तंत्रिका आंदोलन द्वारा चिह्नित नवर्स सिस्टम की एक प्रगतिशील बीमारी, मुख्य रूप से मस्तिष्क के बेसल गैन्ग्लिया के अधःपतन और न्यूरोट्रांस मीटर डोपामाइन की कमी से जुड़े मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग लोगों को प्रभावित करती है

   (ख) रक्तविकार-

      (i) “हीमोफिलिया” एक वंशानुगत बीमारी है, जो आमतौर पर केवल पुरूष को प्रभावित करती है, लेकिन महिलाओं द्वारा उन केनर बच्चों में संक्रमित होती है, जिसके लक्षण है रक्त के सामान्य थक्के की क्षमता में हानि, जिससे गौण घाव के फलस्वरूप घातक रक्तस्राव हो सकता है;

      (ii) “थैलेसीमिया” का अर्थ है, वंशानुगत विकारों का एक समूह जिसके लक्षण है हीमोग्लोबिन की कम या शून्य मात्रा का होना।

(iii) 'सिकल सैलडिसीज"से अभिप्राय है हिमोलिटिक विकार जो किसी संबद्ध ऊतकों तथा अंग क्षतिग्रस्त होने के कारण एनीमिया, दर्द होना और विभिन्न प्रकार की जटिलताओं से परिलक्षित होती है;"हीमोलिटिक"से अभिप्राय है लाल रक्त कोशिकाओं की सैल झिल्ली का नष्टक होना जिससे की हीमोग्लोबिन स्रावित होने लगता है।

v) बधिरांधता सहित दिव्यांकगों में बहु दिव्यांदगताएँ [धाराI से iv के अंतर्गत]-
बधिरांधता सहित बहु दिव्यांयताओं (ऊपर विनिर्दिष्टा दिव्यांगता में से एक से अधिक) से अभिप्राय है वह स्थिति जिसमें व्यिक्ति सुनने एवं देखने में बाधित हो जिसके उसकी बोलचाल, विकास और शिक्षा में गंभीर समस्यावएं आती हों।

2. लिखने वाले (scribe) का प्रयोग करने वाले दिव्यां गों के लिए दिशा-निर्देश-

क) लोकोमोटर दिव्यांगता (दोनों भुजा प्रभावित-बीए) और प्रमस्तिष्क पक्षाघात(cerebral pasly) की श्रेणी में बैंचमार्क दिव्यांगताओं वाले दिव्यांजग अभ्यर्थी की स्थिति में यदि अभ्यर्थी चाहे तो उसे लिखने वाले की सुविधा दी जाएगी।

ख) निर्धारित दिव्यांगगता वाले अन्य- श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुधत करने पर लिखने वाले /लैब सहायक के प्रावधान की अनुमति दी जा सकती है। यह प्रमाण पत्र **परिशिष्ट -क** में दिए गए प्रोफार्मा के अनुरूप सरकारी स्वास्य्थ संस्थान के चिकित्साफ अधिकारी /सिविल सर्जन/मेडिकल सुपरीटेंडैंट द्वारा जारी किया गया और इस आशय का हो कि संबधित व्यक्ति की लिखने में शारीरिक सीमाएं हैं और उसके लिए परीक्षा लिखने के लिए लिखने वाला होना अनिवार्य है।

ग) यदि अभ्यर्थी को अपना लिखने वाला लाने की अनुमति प्रदान की जाती है तो परीक्षा लिखने वाले व्यक्ति की अर्हता परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी से एक स्टैलप कम होनी चाहिए। बैंचमार्क दिव्यांगता वाले अपना लिखने वाला व्याक्ति साथ लाने वाले अभ्यर्थी को **परिशिष्ट -ख** के अनुसार अपने लिखने वाले व्यंक्ति के विवरण देने होंगे।

लेखक प्रदान करने के अन्य नियम व शर्तें वहीं होंगी जैसा कि सामाजिक न्या य एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांग सशक्तकता विभाग द्वारा दिनांक 29 अगस्तक 2018 को जारी "बैंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने हेतु दिशानिर्देश 2018" में दी गई हैं।

3. प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी "दिव्ययांग जन अधिकार नियम, 2017" में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार होगा (भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित) :
अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्या पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी :

क) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/ अपर उपायुक्त/डिप्टि कलेक्टर/फर्स्ट क्लास स्टाइप्नडरी मजिस्ट्रेट/उपमंडलीय मजिस्ट्रेट/ ताल्लुका मजिस्ट्रेट/ कार्यकारी मजिस्ट्रेट/ अपर सहायक आयुक्त

ख) मुख्य प्रसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

ग) कम से कम तहसीलदार स्तर का राजस्व अधिकारी

घ) उस क्षेत्र का उप-मंडलीय अधिकारी जहां अभ्यर्थी या उसका परिवार सामान्यत: रहते हैं।

4. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति; अन्य पिछडा वर्ग; और दिव्यांग होने के प्रमाण पत्र का प्रारूप क्रमश: प्रपत्र -क; प्रपत्र -ख; और प्रपत्र-ग; के अनुरूप हो जो कि इसके बाद संलग्नित हैं।

5. दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, "दिव्ययांग जन अधिकार नियम, 2017" में दिए गए प्रारूप के अनुसार दिव्यांगता प्रमाण पत्र का प्रारूप होगा। अभ्यर्थी द्वारा **प्रपत्र ग (i,ii एवं iii** में दिए गए प्रारूप में प्रमाण पत्र) उपलब्ध कराया जाएगा।

6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईड्ब्ल्यूएस) का आरक्षण के लिए डीओपीटी का.ज्ञा.सं. 36039/1/2019-स्था (आरईएस) दिनांक 31 जनवरी 2019 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार होगा। निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। **प्रपत्र घ** में दिए गए प्रारूप में अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

7. भूतपूर्व सैनिक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली वचनबद्धता **प्रपत्र ङ** में दी गई है।

परिशिष्ट - क

परीक्षार्थी की लिखने में शारीरिक सीमा के संबंध में प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, मैनें श्री/सुश्री/श्रीमती...................... .... (निःशक्तता के साथ दिव्यांग अभ्यर्थी का नाम), व्यक्ति (दिव्यांगता प्रमाण पत्र में उल्लिखित दिव्यांगता की प्रकृति एवं प्रतिशत) सुपुत्र/ सुपुत्री.......................निवासी..(गांव/जिला/राज्य) की जांच की हैं और यह अधिघोषित किया जाता है कि इस व्यक्ति की शारीरिक सीमाएं हैं दिव्यांगता इनकी निःशक्तता के कारण इनके लिखने की क्षमताओं को बाधित करती है।

हस्ताक्षर
सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/सिविल
सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक

नाम व पदनाम,
सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य सेवा केन्द्र का नाम सील के साथ

स्थान :
तारीख :

नोट : प्रमाण पत्र संबद्ध शाखा/दिव्यांग्ता (अर्थात दृष्टि बाधिता - ऑप्थलेमोजिस्ट, लोकोमोटर दिव्यांगता - नेत्र विशेषज्ञ/पीएमआरजे द्वारा दिया गया हो।

परिशिष्ट -ख

अपना स्वयं का लिखने वाला व्यक्ति का उपयोग करने हेतु वचनबद्धता

मैं............................जिला......................., ...…….(राज्य का नाम) में..................... पर (केन्द्र का नाम)................................परीक्षा (परीक्षा का नाम) के लिए रोल नं..........वाले अभ्यर्थी ....(दिव्यांग अभ्यर्थी का नाम) के लिए उपस्थित रहूंगा। मेरी अर्हता ....है।

मैं एतदद्वारा घोषित करता/ करती हूं कि..(लेखक का नाम) उपरोक्त परीक्षा के लिए अधोहस्ताक्षरी को लिखने वाले/ लैब सहायक की सेवा प्रदान करेगा।

मैं एतदद्वारा घोषित करता/करती हूं कि इनकी अर्हता ....है। यदि बाद में यहा पाया जाता है कि इनकी अर्हता अधोहस्ताक्षरी द्वारा यथा घोषित नहीं है और मेरी योग्यता से ऊपर है तो इस पद और इससे संबंधित दावों पर मेरा कोई अधिकार नहीं होगा।

(दिव्यांग के हस्ताक्षर)

स्थान :
तारीख :

प्रपत्र क

<u>अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र</u>

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने हेतु प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती /सुश्री ....सुपुत्र/सुपुत्रीश्री/श्रीमती....................................ग्राम/नगर ....जिला/मण्डल...................................राज्य/ संघशासित क्षेत्र की .... जाति/ जनजाति के व्यक्ति हैं, जो निम्नलिखित के तहत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है:

@संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950@संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950@संविधान (अनुसूचित जाति) संघशासित राज्य आदेश, 1951@संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघशासित राज्यआदेश, 1951

[अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां सूची (आशोधन) आदेश, 1956, मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 एवं पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, 1971; अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (संशोधन) अधिनियम, 1976, मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986, अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 और गोवा, दमण एवं दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987 द्वारा यथा संशोधित]

@संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956

@अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (संशोधन) अधिनियम, 1976, द्वारा यथा संशोधित सविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959

@संविधान (दादर और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962

@संविधान (दादर और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962

@संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964

@संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967@संविधान (गोवा, दमण और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968@संविधान (गोवा, दमण और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968@संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

@संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978@संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978

@संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989@संविधान (एससी) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990 @संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश 1991@संविधान (एसटी) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1991@अनुसूचित जातियांएवंअनुसूचितजनजातियांआदेश (संशोधन) अधिनियम,2002

@संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

@संविधान (अनुसूचित जातियां एवं अधिसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 @संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002

%2.एक राज्य / संघशासित प्रशासन से विस्थापित अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के मामले में लागू।

2. यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती .... जो कि श्री/श्रीमती/कुमारी* ....के माता/पिता हैं और जो .... राज्य/ संघशासित क्षेत्र के .... जिला/ डिविजन* में .... गांव/ शहर के निवासी हैं, और .... जाति/ जनजाति से संबंधित हैं, जिसे .... द्वारा दिनांक .... को जारी पत्र द्वारा राज्य/ संघशासित क्षेत्र में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है, उनको जारी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाता है।

3. श्री/श्रीमती/कुमारी ------और / या इनका परिवार सामान्यतयाः गांव/ कस्वा/ दिल्ली/ डिविजन-------राज्य संघ शासित राज्य--------के निवासी हैं।

हस्ताक्षर............................

स्थान...........................

पदनाम................................

दिनांक:.......................

*कृपया ऐसे शब्दों को काट दें, जो लागू नहीं हैं

@कृपया राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश उल्लेख करें

%कृपया ऐसे पैराग्राफ को काट दें, जो लागू नहीं हैं।

<u>नोट</u>:-यहां शब्द सामान्य रूप से निवास करता है, का अर्थ वही होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में किया गया है।

** अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों की सूची:

(i) जिला मजिस्ट्रेट /अपर जिला मजिस्ट्रेट/ कैलेक्टर/ उपायुक्त/ अपर उपायुक्त /डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/ उप-विभागीय मजिस्ट्रेट/ तालुक मजिस्ट्रेट/ कार्यकारी मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त

(ii) चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/एडीशनल चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक स्तर के कम के ना हों।

(iv) उस क्षेत्र का उप-मण्डल अधिकारी जहां अभ्यर्थी और/अथवा अपने परिवार के साथ सामान्यत: निवास करता हो।

(v) प्रशासक का प्रशासक/सचिव/ विकास अधिकारी (लक्ष्यद्वीप)

<u>प्रपत्र ख</u>

<u>भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने हेतु प्रमाणपत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....सुपुत्र/सुपुत्री श्री/श्रीमती....................................ग्राम/नगर............................जिला/मण्डल..राज्य के .... समुदाय के व्यक्ति हैं जो भारत सरकार के सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय के आधिकारिता संकल्प सं. .... दिनांक .... के तहत पिछड़ा वर्ग के लिए मान्यता प्राप्त है। श्री/श्रीमती/कुमारी..तथा/अथवा उनका परिवार राज्य के जिला/मण्डल.. में सामान्य रुप से रहता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार,कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था. [एससीटी], दिनांक 8-9-1993 और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004 स्था. (पंजी.) दिनांक 9.3.2004 और 14.10.2008 के संशोधित प्रारूप की अनुसूची के स्तंभ 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमीलेयर) से संबंधित नहीं है।

हस्ताक्षर.............................

पदनाम................................

दिनांक:.........................

सील

*- प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प के विवरण का उल्लेख करना होगा, जिसमें अभ्यर्थी की जाति का अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लेख किया गया है।

**- समय-समय पर यथा संशोधित

$ - अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत सूची वही होगी जो अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत है।

नोट: यहां शब्द "सामान्य रूप" का इस्तेमाल वही होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1950 की धारा 20 में किया गया है।

ओबीसी अभ्यर्थियों द्वारा जमा की जाने वाली घोषणा का प्रपत्र (समुदाय प्रमाण पत्र के अतिरिक्त)

मैं-------------------सुपुत्र/ सुपुत्री श्री----------गाँव /कस्बा /शहर----- जिला----- राज्य----- एतदद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं------- समुदाय से संबंध रखता /रखती हूँ जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36102/22/93-स्था (एससीटी) दिनांक 08/9/1993 में उल्लिखित आदेशों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजन हेतु भारत सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता दी गई है। यह भी घोषणा की जाती है कि मैं अंतिम तारीख को उक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 8-9-1993, का.ज्ञा 36033/3/2004-स्था (आरईएस) दिनांक 14 अक्तूबर, 2008 को अनुसूची के स्तंभ 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों/वर्ग (क्रीमीलेयर) से संबंधित नही हूँ।

हस्ताक्षर-----

पूरा नाम------

पता----------

प्रपत्र ग (i)

दिव्यांगता प्रमाणपत्र

(अंग-विच्छेद या अंगों के स्थायीपूर्ण तरह पक्षाघात या बौनापन और दृष्टिहिनता के मामलों में)

[नियम 18 (1) देखें]

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम व पता)

दिव्यांग व्यक्ति का नवीनतम पासपोर्ट आकर का स्वप्रमाणित फ़ोटो (केवल चेहरा दर्शाते हुए)

प्रमाणपत्र संख्या   दिनाँक:

प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्री /श्रीमती /कुमारी------------पुत्र /पत्नी /पुत्री श्री ----------------—जन्मतिथि (तिथि/माह/वर्ष) ——— आयु——वर्ष पुरुष/महिला———पंजीकरण संख्या———स्थायी निवासी मकान नम्बर———वार्ड/ग्राम/स्ट्रीट——डाकघर——जिला——राज्य——और जिनका फोटोग्राफ ऊपर लगाया गया है, की ध्यानपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूँ कि

क) यह निम्नांकित का मामला हैः

- लोकोमोटर दिव्यांगता
- बौनापन
- दृष्टिहीनता

(कृपया जो लागू हो उस पर टिक लगाये)

ख) इनका मामले का निदान ------------- है।

ग) दिशा-निर्देशों (दिशानिर्देशों के जारी होने की संख्या---- और तारीख का उल्लेख करें) के अनुसार इन्हें --------- के संबंध में स्थायी लोकोमोटर दिव्यांगता/बौनापन/दृष्टिहीनता में इनकी (शरीर का अंग) में ------------%(अंकों में) ------ प्रतिशत (शब्दों में) की निःशक्तता है।

2. आवेदक ने अपने निवास के प्रमाणस्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:

दस्तावेज की प्रकृति	जारी करने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत
हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर एवं मुहर)

(उस व्यक्ति का हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान जिसके पक्ष में प्रमाणपत्र जारी किया गया है)

प्रपत्र ग (ii)

दिव्यांगता प्रमाणपत्र

(**प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम व पता**)

[**नियम** 18 (1) **देखें**]

दिव्यांग व्यक्ति का नवीनतम पासपोर्ट आकर का स्वप्रमाणित फ़ोटो (केवल चेहरा दर्शाया हो)

प्रमाणपत्र संख्या दिनाँक:

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री / श्रीमती /कुमारी------------पुत्र/पत्नी/पुत्रीश्री ----------------——जन्मतिथि (तिथि/माह/वर्ष) —— आयु——वर्ष
पुरुष/महिला———पंजीकरणसंख्या———स्थायी निवासी मकान नम्बर———वार्ड/ग्राम/स्ट्रीट——डाकघर——जिला——राज्य——और जिनका फोटोग्राफ ऊपर लगाया गया है, की ध्यानपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूँ कि

(क) वह ——बहुनिःशक्तताओं से ग्रस्त है निशक्तता संबंधी दिशानिदेश के अनुसार (जारी किए गए दिशानिदेश की तिथि व संख्या----------निर्दिष्ट करें) उनकी स्थायी शारीरिक दिव्यांगता/ निःशक्तता के प्रतिशत की सीमा को आकलित किया गया है और नीचे तालिका में संगत दिव्यांगता के सामने दर्शाया गया है:

क्र. सं	**निःशक्तता**	**शरीर का प्रभावित अंग**	**निदान**	**स्थायी शारीरिक दौर्बल्यता/मानसिकरूप से दिव्यांग (% में)**
1	लोकोमोटरनिःशक्तता	@		
2	मस्कुलरडिस्ट्रॉफी			
3	कुष्ठ रोग से ठीक हो चुके व्यक्ति			
4	बौनापन			
5	सेरेबल पाल्सी			
6	एसिड अटैक पीड़ित			
7	कमदृष्टि	#		
8	दृष्टिहीनता	#		
9	बधिर	£		
10	कम सुनाईदेना	£		
11	भाषण एवं भाषा निःशक्तता			
12	बौद्धिक निःशक्तता			
13.	विशिष्ट अधिगम निःशक्तता			
14.	आटिज्म स्पेक्ट्रम डिसओर्डर			
15.	मानसिक बिमारी			
16.	क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल अवस्था			
17.	मल्टीपल सीलेरोसिस			
18.	पार्किसन बीमारी			
19.	हीमोफीलिया			
20.	थेलेसेमिया			
21.	सिकल सेल बीमारी			

ख) उपरोक्त के प्रकाश में, दिशानिर्देशों (निर्दिष्ट दिशानिर्देश की सं.–एवं जारी करने की तिथि) के अनुसार समग्रतः स्थायी शारीरिक निःशक्तता, निम्नानुसार हैः

अंकों में प्रतिशत,

शब्दों में प्रतिशतता

2. उक्त अवस्था प्रोग्रेसिव/ नॉन-प्रोग्रेसिव/ सुधार की संभावना/सुधार होना मुश्किल है

3. निःशक्तता का पुनः मूल्यांकन हो

i) अनावश्यक या

ii) ---वर्ष ---माह के बाद सिफारिश की जाती है, एवं इसका प्रमाणपत्र ------ (दिन/माह/वर्ष) तक वैध रहेगा।

@अर्थात् लेफ्ट/राइट/ दोनों भुजायें /टांगें

अर्थात् एक आँख

£ अर्थात् लेफ्ट/राइट/ दोनों कान

4. आवेदक ने आवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज दिये हैः

दस्तावेज की प्रकृति	जारी-करने की तारीख	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी के विवरण

जिस व्यक्ति के पक्ष में विकलागंता प्रमाणपत्र जारी किया उसके हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

सदस्य का नाम और मुहर	सदस्य का नाम और मुहर	अध्यक्ष का नाम और मुहर

उस व्यक्ति का हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान
जिसके पक्ष में प्रमाणपत्र जारी किया गया है

प्रपत्र ग (iii)

निःशक्तता प्रमाणपत्र

(फार्म V और VI में उल्लिखित के अतिरिक्त कुछ ओर होने पर)

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

(देखेः नियम 18(1))

दिव्यांग व्यक्ति का अक्षमता नवीनतम पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटोग्राफ (केवल चेहरा दर्शाते हुए)

प्रमाणपत्र सं. दिनांकः--------

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री/श्रीमती/कुमारी ---श्री---- के बेटे/पत्नी/बेटी जन्मदिन (दिन/माह/वर्ष) --- आयु--- वर्ष, पुरूष/महिला ---पंजीकरण सं. स्थायी आवासीय म.सं. --- वार्ड/ग्राम/गली---- डाकघर--- जिला---राज्य जिसकी फोटोग्राफ ऊपर लगी हुई है, सावधानीपूर्वक जांच की है, एवं निम्नलिखित से संतुष्ट हैं कि वह -------------अक्षमता का मामला है। उसकी शारीरिक अक्षमता की प्रतिशतता को दिशानिर्देशों (निर्दिष्ट दिशानिर्देशों की सं. एवं जारी करने की तिथि) के अनुसार आंका गया है और नीचे टेबल में संबंधित अक्षमता के सामने दर्शाया गया हैः

क्र. सं	अक्षमता	प्रभावित शारीरांग	उपचार	स्थायी शारिरिक मानसिक अक्षमता(% में)
1.	लोकोमोटर निःशक्तता	@		
2.	मस्कुलर डिस्ट्राफी			
3.	कुष्ठरोग			
4.	सेरेब्रल पॉल्सी			
5.	एसिड अटैक पीड़ित			
6.	श्रवण बाधित	#		
7.	बधिर	£		
8.	सुनने में मुश्किल	£		
9.	स्पीच एवं भाषा निःशक्तता दृष्टि बाधित			
10.	बौद्धिक निःशक्तता			
11.	विशेष लर्निंग निःशक्तता			
12.	आटिज्म स्पेक्ट्रम डिसओर्डर			
13.	मानसिक बीमारी			
14.	क्रॉनिक मनोवैज्ञानिक अवस्था			
15.	मल्टीपल सीलेरोसिस			
16.	पार्किसन बीमारी			
17.	हीमोफीलिया			
18.	थेलेसेमिया			
19.	सिकल सेल बीमारी			

(जो निःशक्तता लागू न हो उसे काट दें)

2. उक्त अवस्था प्रोग्रेसिव/ नॉन-प्रोग्रेसिव/ सुधार की संभावना/सुधार होना मुश्किल है

3. निःशक्तता का पुनः मूल्यांकन

II) ---वर्ष ---माह के बाद सिफारिश की जाती है, एवं इसका प्रमाणपत्र ------ (दिन/माह/वर्ष) तक वैध रहेगा।

@अर्थात् लेफ्ट/राइट/ दोनों भुजायें /टांगें
अर्थात् एक आँख/दोनों आँखें
£ अर्थात् लेफ्ट/राइट/ दोनों कान

4. आवेदक ने आवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज दिये हैः

दस्तावेज की प्रकृति	जारी-करने की तारीख	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी के विवरण

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
(नाम एवं मुहर)
(प्रतिहस्ताक्षरित)
(ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी जो सरकारी नौकर नही है उनके द्वारा जारी किये गए प्रमाण पत्र के मामले में, मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/सरकारी अस्पताल के प्रमुख के प्रति हस्ताक्षर एवं मुहर)

जिस व्यक्ति के पक्ष में निःशक्तता प्रमाणपत्र
जारी किया उसके हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान

टिप्पणीः चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र जारी किये जाने के मामले में, जो सरकारी नौकर न हो, तो केवल जिला प्रमुख चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होने पर ही वैध होगा।

प्रपत्र घ

-------- सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्रधिकारी का नाम एवं पता)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा जमा किये जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र की सं.---- दिनांक-----

--------वर्ष हेतु वैध

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी-------श्री का बेटा/बेटी पत्नी---- ग्राम/ गली----डाकघर ----जिला ----राज्य/संघशासित क्षेत्र--- पिन कोड का स्थायी निवासी, जिसका फोटोग्राफ नीचे सत्यापित है--- वित्त वर्ष हेतु उसकी/उनकी कुल वार्षिक आय 8 लाख (रू आठ लाख केवल) से कम है उसके/उनके परिवार के पास निम्नलिखित परिसम्पत्तियों *** मंख से कुछ भी नही हैः

i. 5 एकड़ कृषिभूमि एवं इससे ज्यादा
ii. 1000 स्क्वेयर फिट एवं इससे ज्यादा का आवसीय फ्लैट
iii. अधिसूचित निगमों में 100 स्क्वेयर गज एवं अधिक का आवासीय प्लॉट
iv. अधिसूचित निगमों के अलावा 200 स्क्वेयर गज एवं अधिक का आवासीय प्लॉट

2. श्री/श्रीमती/कुमारी ----जाति ---- से संबंधित है जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्य नही हैं।

कार्यालय की मुहर सहित हस्ताक्षर------------

नाम---

पदनाम-------------------------------------

अभ्यर्थी का नवीनतम पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटो लगायें

* टिप्पणी 1: सभी संसाधनों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे इत्यादि से आय

** टिप्पणी 2: इस प्रयोजन हेतु परिवार से अभिप्राय व्यक्ति, जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके अभिभावक एवं 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन, उसके पति/उसकी पत्नी एवं 18 वर्ष की आयु से कम के बच्चे शामिल है।

*** टिप्पणी 3: "परिवार" द्वारा अर्जित सम्पत्ति विभिन्न लोकेशनों या भिन्न-भिन्न शहरों/ स्थानों की ईडब्ल्यूएस स्टेटस के निर्धारण के लिए परीक्षा आयोजन के समय इन भूमि या सम्पत्ति को जोड़ा गया हैं।

प्रपत्र ड़

भूतपूर्व सैनिक द्वारा वचनबद्धता

मैं......................................जिनका रोल नंबर................................... परीक्षा 20..के लिए दस्तावेज़ सत्यापन हेतु उपस्थित होने के लिए एतदद्वारा वचन देता/देती हूँ कि:

(क) मैं समय-समय पर संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा और पोस्ट नियमों, 1979 में, भूतपूर्व सैनिकों के पुन: रोजगार के संदर्भ में भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्वीकार्य लाभों का हकदार हूं।

(ख) पुन: रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिक को दिया गया आरक्षण का लाभ लेने के बाद मैंने सिविल साइड (सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों /सांविधिक निकायों, राष्ट्रीयकृत बैंकों इत्यादि सहित) में सरकारी नौकरी में समूह "ग' और "घ' पदों पर नियमित आधार पर जॉइन नहीं किया है; अथवा

(ग) मैंने सिविल में सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने...............का कार्यालय में........................इस दिन.............................के रूप में जॉइन किया हैं। मैं एतदद्वारा वचन देता/ देती हूँ कि मैंने अपने कार्यालय में अपने वर्तमान नियोक्ता के लिए उपर्युक्तलिखित परीक्षा हेतु आवेदन का तिथि वार विवरण के बारेमेंस्व-घोषणा /वचनपत्र प्रस्तुत किया है जिसके लिए मैंने वर्तमान सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले आवेदन किया था; अथवा

(घ) मैंने सिविल में सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने...............का कार्यालय में........................इस दिन.............................के रूप में जॉइन किया है। इसलिए, मैं केवल आयु में छूट के लिए पात्र हूं;

मैं एतदद्वारा घोषणा करता /करती हूं कि उपर्युक्त में दिए गए सभी कथन मेरी अधिकत्तम जानकारी और विश्वास के अनुरूप पूर्ण, सत्य और सही हैं। मैं समझता हूं कि किसी भी चरण में कोई भी सूचना असत्य या गलत पाया जाता है तो मेरी उम्मीदवारी /नियुक्ति रद्द/ समाप्त कर दिया जाएगा।

हस्ताक्षर : ....
नाम: ....
रोलनंबर: ....
तारीख:.....................................
सशस्त्र बल में नियुक्ति की तारीख: ....
डिस्चार्ज होने की तारीख:..................................
अंतिम इकाई/वाहिनी: ....
मोबाइल नंबर:...
ईमेल आईडी :...